राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 93वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 93वीं बैठक दिनांक 13/01/2020 को 03:00 बजे श्री भीगी लाल सरन, अध्यक्ष, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:–

1. डॉ. समीर बाजपेयी, सदस्य, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
2. सुश्री संगीता पी., सदस्य सचिव, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1 **दिनांक 20/12/2019 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 92वीं बैठक दिनांक 20/12/2019 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2 **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ की 301वीं, 302वीं, 303वीं एवं 304वीं बैठक क्रमशः दिनांक 09/12/2019, 10/12/2019, 11/12/2019 एवं 12/12/2019 की अनुशंसा के आधार पर औद्योगिक परियोजना, गौण खनिजों एवं मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के संबंध में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम–पुंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 957)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 42692/ 2019, दिनांक 17/09/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम–पुंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ स्थित प्लाट क्रमांक 102, कुल क्षेत्रफल – 2.39 हेक्टेयर में स्थापित एम.एस. इंगाट्स/बिलेट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता – 99,400 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 10 टन सीसीएम) से 1,14,642 टन प्रतिवर्ष (3 गुणा 12 टन सीसीएम) के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु परियोजना का विनियोग रुपए 4.95 करोड़ होगा।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 298वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण, तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाये। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित ग्राउंड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/11/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 299वीं बैठक दिनांक 20/11/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 15/11/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति की समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में मांगी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/12/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री चंचल कुमार साहू, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ से एलीयंज स्टील बिलेट्स/इंगाट्स क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 12/07/2019 को जारी की गई है, जो दिनांक 30/06/2020 तक वैध है।
- वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. **जारी पर्यावरणीय स्वीकृति** – एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 364, दिनांक 10/06/2019 द्वारा उद्योग को स्टील इंगाट्स/बिलेट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 59,400 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। वर्तमान में उक्त क्षमता के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में स्थापना सम्मति हेतु आवेदन किया गया है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- निकटतम आबादी ग्राम–पुजीपाली 0.8 कि.मी., ग्राम–तुमिडीह 1.8 कि.मी., शहर रायगढ़ 18.6 कि.मी., प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मिडिल स्कूल ग्राम–तुमिडीह 1.8 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन भूपदेवपुर 12.65 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है। केलो नदी 6.5 कि.मी. है।

- सराईमल आरक्षित वन 0.3 कि.मी., रेबो आरक्षित वन 3.5 कि.मी., समाकना आरक्षित वन 4 कि.मी., खुडई आरक्षित वन 5.9 कि.मी., बारकछार आरक्षित वन 6.9 कि.मी., उर्दना आरक्षित वन 7.8 कि.मी. एवं पंजाहर संरक्षित वन 0.3 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल – 2.39 हेक्टेयर है, जिसमें से कन्हई का क्षेत्रफल 0.58 हेक्टेयर, रोड का क्षेत्रफल 0.05 हेक्टेयर, खुला क्षेत्रफल 0.95 हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल – 0.81 हेक्टेयर (34 प्रतिशत) होगा। इस प्रकार प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त भूमि क्षेत्रफल – 0.3 हेक्टेयर उद्योग द्वारा अधिग्रहित किया गया है।

5. **रॉ–मटेरियल** – वर्तमान में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार इण्डक्शन फर्नेस में रॉ–मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन – 55,872 टन प्रतिवर्ष, पिग आयरन/स्क्रैप्स – 15,638 टन प्रतिवर्ष, फेरो एलॉयज एण्ड एल्युमिनियम – 600 टन प्रतिवर्ष एवं रमिंग मास एण्ड रिफेक्ट्री – 89 टन प्रतिवर्ष का उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् इण्डक्शन फर्नेस में रॉ–मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन – 1,13,143 टन प्रतिवर्ष, पिग आयरन/स्क्रैप्स – 24,370 टन प्रतिवर्ष, फेरो एलॉयज एण्ड एल्युमिनियम – 1,243 टन प्रतिवर्ष एवं रमिंग मास एण्ड रिफेक्ट्री – 178 टन प्रतिवर्ष का उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में रॉ–मटेरियल का परिवहन सड़क के माध्यम से ढंके हुए वाहनों द्वारा किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

6. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी** –

Product	Configuration as per EC	Proposed Configuration
MS Ingots/Billets (Induction Furnace)	10 MT X 2 Nos. CCM (59,400 TPA)	12 MT X 3 Nos. CCM (1,14,642 TPA)

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कुशिबल स्पोक हुड विथ डस्ट कलेक्टर के साथ बैग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी प्रस्तावित है।

प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु इण्डक्शन फर्नेसेस से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर कम करने के उद्देश्य से इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सेंट्रल डस्ट कलेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार इण्डक्शन फर्नेस से डिफेक्टीव बिलेट्स – 1,188 टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल 891 टन प्रतिवर्ष, स्लेग – 8,135 टन प्रतिवर्ष एवं रिफेक्ट्री वेस्ट – 45 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात इण्डक्शन फर्नेस से डिफेक्टीव बिलेट्स – 2,376 टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल 1,782 टन प्रतिवर्ष, स्लेग – 16,473 टन प्रतिवर्ष एवं रिफेक्ट्री वेस्ट – 89 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। डिफेक्टीव बिलेट्स को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में पुनःउपयोग किया जाएगा। मिल स्केल को आंशिक रूप से स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में पुनःउपयोग एवं शेष को फेरो एलॉयज इकाई को विक्रय किया जाएगा। स्लेग को मेटल रिकवरी इकाईयों को उपलब्ध कराया जाएगा। रिफेक्ट्री वेस्ट को रिसायक्लर को उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में जनित ठोस अपशिष्ट के अपवहन हेतु उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार परियोजना हेतु कुल 36 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, औद्योगिक उपयोग हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन एवं हॉर्टिकल्चर हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन) जल की खपत होगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु कुल 57 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 7 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 50 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू-जल से की जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। ग्राउण्ड वॉटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप अनुसार आवश्यक अतिरिक्त जल के उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त की जाएगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी। घरेलू दूषित जल की मात्रा 5.25 घनमीटर प्रतिदिन होगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक क्या रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में परियोजना स्थल लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर एवं गहराई 4 मीटर के कुल 4 ग्राउण्ड वॉटर रिचार्ज स्ट्रक्चर की स्थापना की जा चुकी है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 12 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति आपूर्ति जिंदल स्टील पॉवर लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 4 गुणा 125 के.वी.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकौस्टिक इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.81 हेक्टेयर (34 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया गया है। वर्तमान में 1,850 नग पौधे रोपित किए गए है। शेष 250 नग पौधे 3 माह में लगाये जाएँगे।

12. **बेस लाईन डाटा कलेक्शन** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि डाटा कलेक्शन हेतु मॉनिटरिंग कार्य दिनांक 10/12/2019 से प्रारंभ किया जाएगा। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विभिन्न कार्यों में व्यय किया जाएगा, जिसके प्रस्ताव का विवरण ईआईए रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी-1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिपायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन-फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit compliance status of previous Environment Clearance from Regional Office, MoEF & CC, Nagpur.
ii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
iii. CER proposals with details of works and detail estimates.
iv. Project proponent shall submit revised layout earmarking at least 10 meter wide green belt all around the project site.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 93वी बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से

समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

2. मेसर्स ए.सी.बी.(इण्डिया) लिमिटेड, ग्राम–पथरापाली – फागुराम, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 89)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 123910/2019, दिनांक 05/11/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–पथरापाली–फागुराम, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 221, 220/3, 286/3, 211, 215, 28881, 219, 229, 220/1, 286/1, 210 एवं 197, कुल एरिया 11 हेक्टेयर में स्थापित कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष (थ्रूपुट) के पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 18.5 करोड़ प्रस्तावित है।

पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 449 दिनांक 27/11/2012 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया था। तत्पश्चात् एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1006 दिनांक 29/11/2013 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया गया था।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 299वीं बैठक दिनांक 20/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. परियोजना की वर्तमान स्थिति एवं विलंब होने का कारण संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/12/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री किशोर कुमार दास, वाइस प्रेसीडेन्ट (प्रोजेक्ट) उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि विगत 3–4 वर्षों से कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब होने, आर्थिक रूप से व्यवहार्यता, परिवहन लागत (Economically Viability Transpotation Cost), एस.ई.सी.एल. के माण्ड–रायगढ़ कोल फिल्ड के खदानों से कोल उत्पादन की कमी एवं बाजार

कोल की मांग में कमी आदि कारणों से परियोजना की स्थापना में विलंब हुआ है। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा 11 हेक्टेयर भूमि क्रय किया गया, बाण्डड्रीवाल का निर्माण, पॉवर कनेक्शन, डब्ल्यू.बी.एम. रोड, जल संसाधन विभाग से जल उपभोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आदि का कार्य किया गया है। साथ ही जिग (स्क्रीन, ब्लोअर, पंप एवं सेन्ट्रिफ्यूज) का क्रय किया जा चुका है। मुख्य कार्य जैसे क्रशर इकाई, कन्वेयर, स्क्रीनिंग, बेनिफिकेशन प्लांट, थिकनर, बेल्ट प्रेस आदि की स्थापना का कार्य शेष है। उक्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए लगभग 2 वर्ष 8 माह का समय लगना बताया गया है।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in crore)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs.18.5	2%	Rs. 37.0	Following activities at Nearby Government School	
			Rain Water Harvesting, Potable Drinking Water Facility, Running Water Facility for Toilets, Solar Facility, Plantation with Fencing & Display Board for Awareness.	Rs. 40
			Total	**Rs. 40**

सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-**

1. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 9 के अनुसार "Provided that this period of validity with respect to sub-paragraphs (i) and (ii) above may be extended by the regulatory authority concerned by a maximum period of three years if an application is made to the regulatory authority by the applicant within the validity period, together with an updated Form I, and supplementary Form IA, for Construction projects or activities (item 8 of the Schedule)."

परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि आगामी 03 वर्षों की अवधि हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall construct boundary wall of height not less than 05 meters all along the periphery of plant premises. Wind breaking screen of height not less than 03 meters along with rain gun shall be constructed over the boundary wall to prevent the fugitive dust emission in the nearby areas.

ii. Transportation of coal by properly covered vehicles only shall be ensured. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are properly covered.

iii. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust. Vehicles used for transporting the mineral shall be covered with tarpaulins and optimally loaded.

2. पूर्व में जारी शेष पर्यावरणीय स्वीकृति/संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति में विनिर्दिष्ट शर्तें यथावत् रहेंगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 89वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा भरसी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि जारी किया जाए।

3. मेसर्स नितिमा मिनरल्स, प्रो.–श्री प्रेरित चन्द्राकर (भरदाखुर्द सेण्ड माईन, ग्राम–भरदाखुर्द, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद), कन्हैयापुरी, सुभाष नगर, कत्तारीडीह, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1003)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 45994/2019, दिनांक 07/11/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–भरदाखुर्द, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन तांदुला नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भरदाखुर्द दिनांक 07/05/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 563/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2019–20 कांकेर, दिनांक 29/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 607/खनि.लि./खनिज/2019 बालोद, दिनांक 16/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या शून्य है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय/राजमार्ग स्थित नहीं है।

6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 578/ख.लि./रेत खदान नीलामी/2019 बालोद, दिनांक 03/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–भरदाखुर्द 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–भरदाखुर्द 1 कि.मी. एवं अस्पताल गुण्डरदेही 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 312 मीटर, न्यूनतम 270 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 120 मीटर दर्शाई गई है।

11. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,00,000 घनमीटर है। नदीतट के दायें किनारे में 57 मीटर से 30 मीटर तक एवं बायें किनारे में 149 मीटर से 99 मीटर तक छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 298वीं बैठक दिनांक 20/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/12/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रेरित चन्द्राकर, प्रोपराईटर एवं श्री शशांक सोनी, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में प्री-मानसून (Pre-Monsoon) डाटा दिनांक 09/06/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 3 मीटर है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं धुलाई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)
Rs. 44.75	2%	Rs. 0.89

ii. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार–

S. No.	Particulars	Quantity	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)
1.	Rain Water Harvesting System Facility on Govt School of Village-Bhardakhurd (Recharge pit size is 3 ft dia and 10 ft depth with slab, PVC pipe and filter media material)	6	10,000	60,000
2.	Potable Drinking Water Facility in Govt School of Village-Bhardakhurd	2	15,000	30,000
	Total			**90,000**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। तांदुला नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–भरदाखुर्द) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,200 नग पौधे – 600 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 600 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून

के आंकड़ें अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स नितिमा मिनरल्स, प्रो.– श्री प्रेरित चन्द्राकर मरदाखुर्द सेण्ड माईन, को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, ग्राम–मरदाखुर्द, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/01/2020 को संपन्न 93वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स नितिमा मिनरल्स, प्रो.– श्री प्रेरित चन्द्राकर मरदाखुर्द सेण्ड माईन, को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, ग्राम–मरदाखुर्द, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

4. **मेसर्स नितिमा मिनरल्स, प्रो.–श्री प्रेरित चन्द्राकर (रौना सेण्ड माईन, ग्राम–रौना, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद), कन्हैयापुरी, सुभाष नगर, कसारीडीह, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1004)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 45985/2019, दिनांक 07/11/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–रौना, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद स्थित खसरा क्रमांक 92(पार्ट) एवं 582(पार्ट), कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन तांदुला नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–98,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत रौना दिनांक 19/01/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 555/खनिज/उत्खा.यो.अनु./रेत/2019–20 कांकेर, दिनांक 25/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 615/खनि.वि./खनिज/2019 बालोद, दिनांक 16/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में पुल, राष्ट्रीय/राजमार्ग स्थित नहीं है।

6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 578/ख.वि./रेत खदान नीलामी/2019 बालोद, दिनांक 03/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–रीना 0.21 कि.मी., स्कूल ग्राम–रीना 0.3 कि.मी., एवं अस्पताल गुण्डरदेही 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी. दूर है। तालाब 0.36 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 520 मीटर, न्यूनतम 387 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 105 मीटर दर्शाई गई है।

11. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 98,000 घनमीटर है। नदीतट के दायें किनारे में 304 मीटर से 225 मीटर तक एवं बायें किनारे में 99 मीटर से 39 मीटर तक छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 299वीं बैठक दिनांक 20/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/12/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रेरित चन्द्राकर, प्रोपराईटर एवं श्री शशांक सोनी, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्शी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में प्री-मानसून (Pre-Monsoon) डाटा दिनांक 09/06/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई मापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 3 मीटर है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

I.

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)
Rs. 49.5	2%	Rs. 0.99

II. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार–

S. No.	Particulars	Quantity	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)
1.	Rain Water Harvesting System Facility on Govt School of Village-Rauna (Recharge pit size is 3 ft dia and 10 ft depth with slab, PVC pipe and filter media material)	7	10,000	70,000
2.	Potable Drinking Water Facility in Govt School of Village-Rauna	2	15,000	30,000
	Total			**1,00,000**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। तांदुला नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–रौना) का रकबा 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में क्रीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,200 नग पौधे – 600 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 600 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून

के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स मितिमा मिनरल्स, प्रो.– श्री प्रेरित चन्द्राकर रौना सेण्ड माईन, को खसरा क्रमांक 92(पार्ट) एवं 582(पार्ट), ग्राम–रौना, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 49,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 93वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स मितिमा मिनरल्स, प्रो.– श्री प्रेरित चन्द्राकर रौना सेण्ड माईन, को खसरा क्रमांक 92(पार्ट) एवं 582(पार्ट), ग्राम–रौना, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 49,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

5. मेसर्स बंगोरी लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री मनोज कुमार अग्रवाल), ग्राम–बंगोरी, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 939)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएम/ 40712/2019, दिनांक 06/08/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बंगोरी, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा खसरा क्रमांक 25/119, 25/120 एवं 25/28, कुल क्षेत्रफल – 1.235 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 19,629 टन प्रतिवर्ष है। खसरा क्रमांक 25/119 क्षेत्रफल – 0.304 हेक्टेयर भूमि संयुक्त रूप से श्री प्रदीप, श्री अशोक एवं अन्य, खसरा क्रमांक 25/120, क्षेत्रफल – 0.607 हेक्टेयर भूमि श्री सुशील एवं खसरा क्रमांक 25/28 क्षेत्रफल – 0.324 हेक्टेयर भूमि सुश्री अलबिना के नाम से है। इनसे लीज पर लेने हेतु सहमति ली गई है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बंगोरी का दिनांक 20/11/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्फ्लायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 662/खनिज/2019 अम्बिकापुर, दिनांक 10/08/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 981/खनिज/ख.लि.3/ई–टेण्डर/2019, अम्बिकापुर, दिनांक 29/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 3 खदानें, कुल क्षेत्रफल 2.304 हेक्टेयर है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 981/खनिज/ख.लि.3/ई–टेण्डर/2019, अम्बिकापुर, दिनांक 29/07/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक/377/खनिज/ख.लि.4/ई–टेण्डर/2018–19 अम्बिकापुर, दिनांक 20/03/2019 द्वारा जारी किया गया है।

6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक /तक.अधि./4587 अम्बिकापुर, दिनांक 29/08/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 5 कि.मी. की दूरी पर है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 19/09/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 295वीं बैठक दिनांक 19/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 19/09/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु

उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 992 दिनांक 05/11/2019 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि बाबत् पत्र प्राप्ति उपरांत समिति की समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय प्रदान करने हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 08/11/2019 द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 299वीं बैठक दिनांक 20/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/12/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 302वीं बैठक दिनांक 10/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज कुमार अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. निकटतम आबादी ग्राम-चंगोरी 0.6 कि.मी. एवं राजपुर 10 कि.मी., शैक्षणिक संस्था ग्राम-चंगोरी 1 कि.मी. एवं अस्पताल राजपुर 10.3 कि.मी. दूर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10.1 कि.मी. दूर है। गागर नदी 0.44 कि.मी., मौसमी नाला 0.63 कि.मी. एवं तालाब 0.3 कि.मी. दूर है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
3. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 6,32,937 टन, माईनेबल रिजर्व 2,07,328 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,86,593 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.059 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 4,111 घनमीटर एवं मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर की स्थापना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन

	(टन में)
प्रथम	18,675
द्वितीय	18,000
तृतीय	18,354
चतुर्थ	18,766
पंचम	18,380
छटवें	17,887
सातवें	18,731
आठवें	19,264
नौवें	19,629
दसवें	18,927

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

4. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 870 नग एवं खदान के पहुँच मार्ग के दोनों तरफ में अतिरिक्त 380 नग पौधे प्रथम वर्ष में लगाया जाना प्रस्तावित है।

6. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

7. एल.ओ.आई. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 5239/खनि02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27/09/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि अर्थात 18/03/2020 तक है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 2221/खनिज/खनि.1/2019 अम्बिकापुर, दिनांक 09/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 20 खदानें रकबा 15.771 हेक्टेयर है।

9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/01/2020 से आरंभ किया जाएगा।

11. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 39.5	2%	Rs. 0.79	Following activities at Nearby Government Middle School Village-Changori	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 1.65
			Potable Drinking Water Facility (Water Filter) & maintenance charge for 5 years	Rs. 0.45
			Running water arrangement for toilet	Rs. 0.20
			Plantation work	Rs. 0.15
			Total	**Rs. 2.45**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

12. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2016 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 2221/खनिज/खनि.1/2019 अम्बिकापुर, दिनांक 09/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 20 खदानें रकबा 15.816 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–चंगोरी) का रकबा 1.235 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–चंगोरी) को मिलाकर कुल रकबा 17.051 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.

ii. Project proponent has submitted that the water shall be supplied through Gram Panchayat. In this regard, project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat (with date) for usage of water.

iii. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

iv. Project proponent shall submit proposal for storage of top soil.

v. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

vi. Project proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 93वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विस्तृत विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

6. मेसर्स श्री आशीष कुमार अग्रवाल (सिरियाडीह सैण्ड माईन, ग्राम–सिरियाडीह, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा), अग्रसेन नगर, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (संचियालय का नस्ती क्रमांक 1025)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 125888/2019, दिनांक 17/11/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम ग्राम–सिरियाडीह, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 1472, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,27,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सिरियाडीह का दिनांक 30/01/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रज्ञा), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 9286/खनि.02/रेत(खदान)/न.क.323/ 2019 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 15/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1157/सी/खनि/रेत/तीन–1 2019 बलौदाबाजार, दिनांक 14/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 816/सी.खनिज/निलामी/न.क्र./2019 बलौदाबाजार, दिनांक 01/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. निकटतम आबादी ग्राम–सिरियाडीह 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–सिरियाडीह 1 कि.मी. एवं अस्पताल लाफा 9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 50 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5 कि.मी. दूर है। तालाब 1 कि.मी. दूर है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

9. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 1,200 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 129.87 मीटर दर्शाई गई है।

10. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 7 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,27,500 घनमीटर है। नदीतट के पश्चिमी किनारे की न्यूनतम दूरी 125 मीटर तक एवं पूर्वी किनारे की न्यूनतम दूरी 865 मीटर तक छोड़ा गया है।

11. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 299वीं बैठक दिनांक 20/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/12/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 302वीं बैठक दिनांक 10/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रमोद तिवारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1157/ए/खनि/रेत/तीन-1/2019 बलौदाबाजार, दिनांक 14/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) आटा दिनांक 05/11/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 7 मीटर है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh)

Rs. 35.95	2%	Rs. 0.71	Following activities at Nearby Government Village-Siriyadih	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 1.25
			Potable Drinking Water Facility (Water Filter) & maintenance charge for 5 years	Rs. 0.35
			Installation of water tank and water pipe line	Rs. 0.20
			Toilet repairing and Running water arrangement for toilet	Rs. 0.35
			Plantation work	Rs. 0.10
			Total	**Rs. 2.05**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. आवेदित खदान (ग्राम—सिरियाडीह) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी—2 श्रेणी की मानी गयी।
2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे — 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुँच मार्ग में भी वृक्षारोपण किया जाएगा।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट—मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया

जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री आशीष कुमार अग्रवाल, सिरियाडीह सेण्ड माईन की खसरा क्रमांक 1472, ग्राम–सिरियाडीह, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा, कुल लीज क्षेत्र 6 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 93वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री आशीष कुमार अग्रवाल, सिरियाडीह सेण्ड माईन की खसरा क्रमांक 1472, ग्राम–सिरियाडीह, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा, कुल लीज क्षेत्र 6 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

7. मेसर्स शेख अलीमुद्दीन (माहुद सेण्ड माईन, ग्राम–माहुद, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर), बिंद्रधर पारा, ग्राम–कुशमंडा, तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1026)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 125977/2019, दिनांक 18/11/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–माहुद, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 721, कुल लीज क्षेत्र 4.99 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,27,245 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत माहुद का दिनांक 14/06/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 667/खनिज/उत्खन.यो.अनु./रेत/2019–20 कांकेर, दिनांक 15/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 658(सी)/खनिज/रेत(मूल) 2019–20 कांकेर, दिनांक 15/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 658(सी)/खनिज/रेत(मूल) 2019–20 कांकेर, दिनांक 15/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, आबादी, शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 624/खनिज/रेत (रिवर्स ऑक्शन)/2019 कांकेर, दिनांक 13/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कांकेर वनमण्डल, जिला–कांकेर के ज्ञापन क्रमांक /मा.वि./2019/9188 कांकेर, दिनांक 06/12/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 5 कि.मी. की दूरी पर है।
9. निकटतम आबादी ग्राम–माहुद 0.57 कि.मी., स्कूल ग्राम–माहुद 0.75 कि.मी. एवं अस्पताल चारामा 2.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.51 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 23.45 कि.मी. दूर है। तालाब 0.22 कि.मी. एवं एनिकट 6.5 कि.मी. दूर है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 380 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 124.75 मीटर दर्शाई गई है।
12. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,27,245 घनमीटर है। नदीतट के पश्चिमी किनारे में 90 मीटर तक एवं पूर्वी किनारे में 45 मीटर तक छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 299वीं बैठक दिनांक 20/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

2. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/12/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 302वीं बैठक दिनांक 10/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु शेख अलीमुद्दीन, प्रोपराईटर एवं श्री बी.एल. बंजारे, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसौदा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी जानकारी** – पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत माहुद के नाम से रेत खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 721, क्षेत्रफल 5.02 हेक्टेयर, क्षमता – 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति ज्ञापन क्रमांक 528 दिनांक 05/07/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी किया गया था।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। गाव अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) आटा दिनांक 12/11/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 4 मीटर है।

5. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 49.44	2%	Rs. 0.98	Following activities at Nearby Government Village-Mahud	
			Rain Water Harvesting	Rs. 1.00

			System	
			Potable Drinking Water Facility (Water Filter) & maintenance charge for 5 years	Rs. 0.45
			Running water arrangement for toilet	Rs. 0.20
			Plantation work	Rs. 0.15
			Total	**Rs. 1.80**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–माहुद) का रकबा 4.99 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुँच मार्ग में भी वृक्षारोपण किया जाएगा।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स शेख अलीमुद्दीन, माहुद सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 721, ग्राम–माहुद, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर, कुल लीज क्षेत्र 4.99 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 93वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स शेख अलीमुद्दीन, माहुद सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 721, ग्राम–माहुद, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर, कुल लीज क्षेत्र 4.99 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

8. मेसर्स शेख अलीमुद्दीन (भिलाई सेण्ड माईन, ग्राम–भिलाई, तहसील–चारामा, जिला–उ.ब.कांकेर), ग्राम–कुशगढ़, तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 782)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 32609/2019, दिनांक 10/03/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 27/03/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 05/04/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–भिलाई, ग्राम पंचायत भिलाई, तहसील–चारामा, जिला–उ.ब.कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–73,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 277वीं बैठक दिनांक 14/05/2019:

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में कितनी मोटाई में रेत उपलब्ध है? इस बाबत् प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट के अनुसार विभिन्न पिट्स

की वास्तविक खुदाई के आधार पर मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/05/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया था। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 281वीं बैठक दिनांक 12/06/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती रूखमणी एईके, सरपंच, ग्राम पंचायत भिलाई एवं श्री बी. एल. बंजारे, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में रेत उपलब्धता की मोटाई एवं इस बाबत् प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट के अनुसार विभिन्न पिट्स की वास्तविक खुदाई के आधार पर मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार 5 पिट के आधार पर वर्तमान में रेत उपलब्धता की मोटाई 3 मीटर से 3.5 मीटर बताया गया है।

3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह एक प्रस्तावित खदान है। आवेदित खदान नवीन खदान होने के कारण पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

4. सरपंच द्वारा रेत खदान में रेत की उपलब्धता की जाँच वर्ष में दो बार माह मई की अंतिम सप्ताह तथा नवम्बर में जाँच कराकर रिपोर्ट जमा किया जाने बाबत् कमिटमेंट प्रस्तुत किया गया है।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार रेत खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं होने बाबत् जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 5 एवं 6 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किए जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 731 दिनांक 09/09/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया गया।

वर्तमान में एल.ओ.आई. धारक शेख अलीमुद्दीन (अधिमानी बोलीदार) द्वारा विचाराधीन प्रकरण को हस्तांतरित करने हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 18/11/2019 को प्रस्तुत किया गया है। अनुरोध पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज निम्नानुसार है:-

i. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019" के प्रावधानों अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 628/खनिज/ रेत (रिवर्स ऑक्शन)/2019 कांकेर, दिनांक 13/11/2019 द्वारा शेख अलीमुद्दीन (अधिमानी बोलीदार) के नाम से एल.ओ.आई. जारी किया गया है।

ii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 644/खनिज/ रेत (रिवर्स ऑक्शन)/2019 कांकेर, दिनांक 15/11/2019 द्वारा द्वारा पर्यावरण अनुमति को शेख अलीमुद्दीन (अधिमानी बोलीदार) के नाम से जारी किए जाने बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत जारी गया है।

(स) समिति की 299वीं बैठक दिनांक 20/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-**

1. सरपंच, ग्राम पंचायत भिलाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन को एल.ओ.आई. धारक शेख अलीमुद्दीन (अधिमानी बोलीदार) के नाम से हस्तांतरित किये जाने के अनुरोध को मान्य किया गया।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

3. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार रेत खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं होने बाबत् जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/12/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 302वीं बैठक दिनांक 10/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु शेख अलीमुद्दीन, प्रोपराईटर एवं श्री बी.एल. बंजारे, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसौदा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भिलाई का दिनांक 09/06/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 784/खनिज/रेत (रिवर्स ऑक्शन)/2019 कांकेर, दिनांक 10/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 456(सी)/खनिज/रेत(मूल) 2018 कांकेर, दिनांक 05/09/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 135/खनिज/रेत(मूल) 2019-20 कांकेर, दिनांक 06/06/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, आबादी, शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, धार्मिक स्थल, पुल, बांध, एनीकट, ब्रीज, ऐतिहासिक स्थल अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 626/खनिज/रेत (रिवर्स ऑक्शन)/2019 कांकेर, दिनांक 13/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2016 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कांकेर वनमण्डल, जिला-कांकेर के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./2019/9186 कांकेर, दिनांक 06/12/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 5 कि.मी. की दूरी पर है।
9. निकटतम आबादी ग्राम-भिलाई 0.65 कि.मी., स्कूल ग्राम-जुनवानी 1.7 कि.मी. एवं अस्पताल चारामा 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 24.3 कि.मी. दूर है। तालाब 0.73 कि.मी. एवं एनिकट 6.4 कि.मी. दूर है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 480 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 100 मीटर दर्शाई गई है।

12. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 73,500 घनमीटर है। खदान नदीतट से 50 मीटर दूर है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

15. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में प्री–मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 29/05/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

16. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 3.3 मीटर है।

17. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लीडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

18. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 29.53	2%	Rs. 0.59	Following activities at Nearby Government Village-Bhelai	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 1.00
			Potable Drinking Water Facility	Rs. 0.45

			(Water Filter) & maintenance charge for 5 years	
			Running water arrangement for toilet	Rs. 0.20
			Total	Rs. 1.60

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–भिलाई) का रकबा 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुँच मार्ग में भी वृक्षारोपण किया जाएगा।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स शेख अलीमुद्दीन, भिलाई सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 01, ग्राम–भिलाई, तहसील–चारामा, जिला–उ.ब. कांकेर, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 73,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय

स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 93वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स शेख अलीमुद्दीन, मिलाई स्टोन माईन को खसरा क्रमांक 01, ग्राम–मिलाई, तहसील–बारामा, जिला–उ.ब.कांकेर, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 73,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

9. मेसर्स श्री रमेश पटेल (पूर्व आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत तालकेश्वरपुर, ग्राम–कुंदरू, तहसील–रामानुजगंज, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज) (संचालय का नस्ती क्रमांक 914)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 38795/2019, दिनांक 08/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कुंदरू, ग्राम पंचायत तालकेश्वरपुर, तहसील–रामानुजगंज, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 6, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन पांगन नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–67,084 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत तालकेश्वरपुर का दिनांक 24/04/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी जिला–बलरामपुर– रामानुजगंज (छ.ग.) द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 246/खनिज/रेत/2019 बलरामपुर, दिनांक 27/06/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार रेत खदान की निकटतम नदी तट से दूरी 15 मीटर है तथा उक्त रेत खदान के 500 मीटर

की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, नहर या नाली, मंदिर, मस्जिद, मरघट आदि सार्वजनिक स्थल नहीं है।

5. निकटतम आबादी ग्राम–कुदरू 1 कि.मी., स्कूल 1 कि.मी. एवं अस्पताल 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15.2 कि.मी. दूर है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

7. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – लगभग 110 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 62 मीटर दर्शाई गई है।

8. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 67,084 घनमीटर है। नदीतट को किनारे में 15 मीटर तक छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा द्वारा जारी चिन्हांकित/ सीमांकित कर घोषित संबंधी प्रमाण पत्र में कुल लीज क्षेत्र 5.3 हेक्टेयर का उल्लेख किया गया है। परंतु यह खदान कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर हेतु आवेदन किया गया है। अतः कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा द्वारा जारी चिन्हांकित/ सीमांकित कर घोषित संबंधी संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2016 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Raport) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 831 दिनांक 29/09/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया गया।

वर्तमान में एल.ओ.आई. धारक श्री रमेश पटेल (अधिमानी बोलीदार) द्वारा विचाराधीन प्रकरण को हस्तांतरित करने हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 19/11/2019 को प्रस्तुत किया गया है। अनुरोध पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज निम्नानुसार है:-

i. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019" के प्रावधानों अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 1038/गौण खनिज/ रेत निलामी/2019 बलरामपुर, दिनांक 15/11/2019 द्वारा श्री रमेश पटेल (अधिमानी बोलीदार) के नाम से एल.ओ.आई. जारी किया गया है।

(स) समिति की 299वीं बैठक दिनांक 20/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-**

1. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा द्वारा जारी चिन्हांकित/ सीमांकित कर घोषित संबंधी प्रमाण पत्र में कुल लीज क्षेत्र 5.3 हेक्टेयर का उल्लेख किया गया है। परंतु यह खदान कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर हेतु आवेदन किया गया है। अतः कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा द्वारा जारी चिन्हांकित/ सीमांकित कर घोषित संबंधी संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। वर्तमान में आपकी द्वारा प्रस्तुत नाम हस्तांतरित हेतु आवेदन में कुल लीज क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर का उल्लेख किया गया है। अतः उपरोक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा पर्यावरण अनुमति को श्री रमेश पटेल (अधिमानी बोलीदार) के नाम से जारी किए जाने बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।

4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्मघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/12/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 302वीं बैठक दिनांक 10/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रमेश पटेल, प्रोपराईटर एवं श्री सुब्रत साना, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है, जिसका कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर है। इस बाबत् संशोधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

2. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2018" के प्रावधानों अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 1087/गौण खनिज/रेत नीलामी/2019 बलरामपुर, दिनांक 28/11/2019 द्वारा श्री रमेश पटेल (अधिमानी बोलीदार) के नाम से एल.ओ.आई. जारी किया गया है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 1013/गौण खनिज/रेत नीलामी/2019 बलरामपुर, दिनांक 09/12/2019 द्वारा पर्यावरण अनुमति को श्री रमेश पटेल (अधिमानी बोलीदार) के नाम से जारी किए जाने बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत जारी गया है।

4. अतः सचिव, ग्राम पंचायत तालकेश्वरपुर द्वारा वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन को एल.ओ.आई. धारक (अधिमानी बोलीदार) के नाम से

हस्तांतरित करते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति श्री रमेश पटेल (अधिभारी बोलीदार) के नाम से जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में प्री–मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 03/12/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

8. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 3 मीटर है।

9. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

10. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 14.63	2%	Rs. 0.29	Following activities at Nearby Government Village-Kundru	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 1.00
			Potable Drinking Water Facility (Water Filter) & maintenance charge for 5 years	Rs. 0.45
			Total	Rs. 1.45

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। पांगन नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत तालकेश्वरपुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन को एल.ओ.आई. धारक श्री रमेश पटेल (अधिमानी बोलीदार) के नाम से हस्तांतरित किये जाने के अनुरोध को मान्य किया गया।
2. आवेदित खदान (ग्राम–कुंदरू) का रकबा 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
3. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुँच मार्ग में भी वृक्षारोपण किया जाएगा।
4. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
5. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टुबर) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
6. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से **श्री रमेश पटेल (अधिमानी बोलीदार) के नाम से** कुंदरू सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 6, ग्राम–कुंदरू, तहसील–रामानुजगंज, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 49,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 93वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से

समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये **श्री रमेश पटेल (अधिमानी बोलीदार)** के नाम से कुंदरु सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 6, ग्राम–कुंदरु, तहसील–रामानुजगंज, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 49,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

10. मेसर्स बरबसपुर फ्लेग स्टोन माईन (श्री राजेन्द्र गुप्ता), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 924)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 39261/2019, दिनांक 15/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन माईन खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 209, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–5,103 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लेग स्टोन माईन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरबसपुर का दिनांक 11/07/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरीमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 640–2/ख.नि./तीन–6/2019 रायपुर, दिनांक 12/06/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 985/क/ ई–निविदा/ ख.नि./ न.क्र. 63/2019 महासमुंद, दिनांक 03/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 2050/क/ई–निविदा/ख.नि./न.क्र.63/2019 महासमुंद, दिनांक 10/12/2019 के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन दिनांक 05/02/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन दिनांक 31/07/2018 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि वनक्षेत्र से 8 कि.मी. दूर है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय **सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया था:–**

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 22/08/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती /अनुरोध पत्र, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/08/2019 को सूचना दी गई कि उनका समिति के समक्ष अपरिहार्य कारणों से बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 293वीं बैठक दिनांक 17/09/2019:

परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 16/09/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/12/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 303वीं बैठक दिनांक 11/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेन्द्र गुप्ता, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एल.ओ.आई. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 4890/खनि02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/09/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि अर्थात 03/02/2020 तक है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 2040 /क/ ई–निविदा/ख.लि./ म.क्र.63/2018 महासमुंद, दिनांक 10/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 24 खदानें रकबा 12.51 हेक्टेयर है।

3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऑनलाईन के माध्यम से प्रस्तुत फार्म–1 में कुटिपका उत्खनन क्षमता–5,103 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख हो गया है। अतः संशोधन करते हुये उत्खनन क्षमता–5,670 टन प्रतिवर्ष हेतु पुनः फार्म–1 की प्रति प्रस्तुत की गई है।

4. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

5. निकटतम आबादी ग्राम–बरबसपुर 0.95 कि.मी., शैक्षणिक संस्था ग्राम–बरबसपुर 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बिरकोनी 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 23.9 कि.मी. दूर है। महानदी 3.7 कि.मी., तालाब 0.91 कि.मी. एवं मौसमी नाला 0.57 कि.मी. दूर है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

7. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,44,000 टन, माईनेबल रिजर्व 70,184 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 63,147 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.044 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 19,980 घनमीटर एवं मोटाई लगभग 3 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन में)
प्रथम	5,508
द्वितीय	5,184
तृतीय	5,670
चतुर्थ	5,411
पंचम	5,314
छटवें	5,573
सातवें	5,281
आठवें	5,443
नौवें	5,152
दसवें	5,618

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों का राउण्डऑफ किया गया है।

8. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.85 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

9. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 667 नग एवं खदान के पहुँच मार्ग के दोनों तरफ में अतिरिक्त 230 नग पौधे प्रथम वर्ष में लगाया जाना प्रस्तावित है।

10. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

11. ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/01/2020 से आरंभ किया जाएगा।

12. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 16.01	2%	Rs. 0.32	Following activities at Nearby Government Middle School Village-Barbaspur	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.35
			Total	Rs. 0.35

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाए।

13. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 2040 /क/ ई–निविदा/ख.नि./ म.क्र.63/2018 महासमुंद, दिनांक 10/12/2019

के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 24 खदानें रकबा 12.51 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) का रकबा 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) को मिलाकर कुल रकबा 13.51 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.

ii. Project proponent has submitted that the water shall be supplied through Gram Panchayat. In this regard, project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.

iii. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

iv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

v. Project proponent shall submit proposal for storage of top soil.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 93वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

11. मेसर्स जिन कुशल कंसट्रक्शन कंपनी (कलडबरी लाईम स्टोन क्वारी, पार्टनर– श्री पियूष बैद), ग्राम–कलडबरी, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 857)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 35706/2019, दिनांक 22/06/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑफलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 29/06/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/08/2019 को ऑफलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कलडबरी, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 194/2, 195/1, 195/2(पार्ट), 195/3(पार्ट), 196/1, 196/3, 199/1, 199/2, 200,

202/1, 215/1, 215/2 एवं 228/1, कुल क्षेत्रफल – 3.536 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 28,000 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कलडबरी का दिनांक 09/08/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांगविथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.नि./तीन–6/ 2019/2530, दिनांक 13/03/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1080/खनि.नि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 31/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2061/टेंडर नंबर–17210/ख.नि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 28/01/2019 द्वारा जारी किया गया है।

6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक क्र./मा.चि./10–1/10457 राजनांदगांव, दिनांक 03/11/2015 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. निकटतम आबादी ग्राम–कलडबरी 0.5 कि.मी. एवं राजनांदगांव शहर 14 कि.मी., अस्पताल राजनांदगांव 14 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है। तालाब 0.35 कि.मी. दूर स्थित है। मनघटा वन क्षेत्र 4.8 कि.मी. दूर है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, क्रेन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 14,85,120 टन एवं माईनेबल रिजर्व 6,34,500 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित

अधिकतम गहराई 21 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 25 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (मीट्रिक टन)
प्रथम	4,167	3	12,500	25,000
द्वितीय	4,167	3	12,500	25,000
तृतीय	4,167	3	12,500	25,000
चतुर्थ	4,167	3	12,500	25,000
पंचम	4,167	3	12,500	25,000

4. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति निकटतम ट्यूब वेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में प्रथम वर्ष में ही 2,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

6. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 19/09/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 295वीं बैठक दिनांक 19/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पियूष बैद, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु दिनांक 30/08/2019 को आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि आवेदन खनिज विभाग में विचाराधीन है।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भूमि क्रय किये जाने के पूर्व स्थानीय लोगों द्वारा खदान में उत्खनन का कार्य किया गया है।
3. खदान से एक्वीफर क्षेत्र में पानी की निकासी से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि पानी प्रदूषित न हो और इसके फलस्वरूप कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 70	2%	Rs. 1.4	Following activities at Nearby Government School Village-Kaidabri	
			Rain water harvesting	Rs. 0.80
			Supplying of running water	Rs. 0.30
			Fencing and plantation	Rs. 0.30
			Total	Rs. 1.40

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. मोटराईज्ड पार्टनरशीप की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 962, दिनांक 05/11/2019 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 14/11/2019 (प्राप्ति दिनांक 22/11/2019) द्वारा जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 303वीं बैठक दिनांक 11/12/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. मोटराईज्ड पार्टनरशीप की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. एल.ओ.आई. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 9163/खनि02/छ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/09/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह (दिनांक 26/01/2020 तक) हेतु वैध है।
3. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1080/खनि.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 31/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक

है। आवेदित खदान (ग्राम–कलडबरी) का रकबा 3.536 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–कलडबरी, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 194/2, 195/1, 195/2(पार्ट), 195/3(पार्ट), 196/1, 196/3, 199/1, 199/2, 200, 202/1, 215/1, 215/2 एवं 228/1, कुल क्षेत्रफल – 3.536 हेक्टेयर चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 93वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ग्राम–कलडबरी, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 194/2, 195/1, 195/2(पार्ट), 195/3(पार्ट), 196/1, 196/3, 199/1, 199/2, 200, 202/1, 215/1, 215/2 एवं 228/1, कुल क्षेत्रफल – 3.536 हेक्टेयर चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

12. मैसर्स चांपा मिनरल्स (बिरगहनी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–बिरगहनी, तहसील–जांजगीर, जिला– जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 953)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 42627/2019, दिनांक 10/09/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 25/09/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 25/11/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर एवं क्रशिंग (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बिरगहनी, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 101, 91/1, 100, 78/3, 77/4, 77/5, 79/1, 79/3, 80/2 एवं 78/2, कुल क्षेत्रफल – 2.336 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 38,627.69 टन प्रतिवर्ष (15,531.09 घनमीटर प्रतिवर्ष) है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर एवं क्रशिंग (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बिरगहनी (ख) का दिनांक 25/02/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 6019/खनि6/उ.यो.अ./2016, कोरबा, दिनांक 06/09/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 1830/ख.नि./न.क्र./2019 जांजगीर, दिनांक 18/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 28 खदानें, क्षेत्रफल 28.551 हेक्टेयर है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के ज्ञापन क्रमांक 682/गौण खनिज/ई–निविदा/न.क्र./2019–20 जांजगीर, दिनांक 11/09/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है। सार्वजनिक स्थलों में बरसाती नाला 185 मीटर की दूरी पर स्थित है।

5. एल.ओ.आई. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 9167/खनि02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि अर्थात 13/05/2020 तक है।

6. निकटतम आबादी ग्राम–बिरगहनी 0.31 कि.मी., शैक्षणिक संस्था बिरगहनी 1 कि.मी., अस्पताल चांपा 2 कि.मी. एवं धार्मिक स्थल बिरगहनी 1 कि.मी. दूर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.47 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.9 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 0.87 कि.मी. (पूर्व दिशा), मौसमी नाला 0.17 कि.मी. (उत्तर–पूर्व दिशा) एवं तालाब 0.4 कि.मी. (पश्चिम) दूर है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

8. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 8,60,347 टन, माईनेबल रिजर्व 5,84,589 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,01,970 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.55 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 17 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 15,285 घनमीटर एवं मोटाई 1.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन में)
प्रथम	38,028
द्वितीय	38,176
तृतीय	37,000

चतुर्थ	37,755
पंचम	37,257
छटवें	36,622
सातवें	28,452
आठवें	2,503
नौवें	2,627
दसवें	2,750

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

9. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.54 कि.ली. प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

10. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 1,138 नग पौधे प्रथम वर्ष में लगाया जाना प्रस्तावित है।

11. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 11/12/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 303वीं बैठक दिनांक 11/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री किशोर कुमार शर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान में विभिन्न कार्यों हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति के संबंध में ग्राम पंचायत बिरगहनी (धाम्बा) का दिनांक 17/09/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. अतिरिक्त मिट्टी को संरक्षित करने के लिए 1.68 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अनुबंध की प्रति प्रस्तुत की गई है।

3. ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/01/2020 से आरंभ किया जाएगा।

4. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वनमण्डल, चांपा के ज्ञापन क्रमांक /तक. अधि./11079 चांपा, दिनांक 10/12/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 7 कि.मी. की दूरी पर है।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 176.38	2%	Rs. 3.52	Following activities at Nearby Government Middle School Village-Birghani	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 1.5
			Potable Drinking Water Facility & maintenance charge for 5 years	Rs. 0.45
			Installation of solar light system	Rs. 1.00
			Running water arrangement for toilet	Rs. 0.40
			Plantation around school campus	Rs. 0.20
			Total	Rs. 3.55

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 1630/ख.लि./म.अ./2019 जांजगीर, दिनांक 18/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 28 खदानें, क्षेत्रफल 26.551 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बिरगहनी) का रकबा 2.336 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बिरगहनी) को मिलाकर कुल रकबा 28.887 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.

   ii. Project proponent has submitted that the water shall be supplied through Gram Panchayat. In this regard, project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.

   iii. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

   iv. Project proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.

   v. Project proponent shall submit proposal for storage of top soil.

   vi. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

   vii. Project proponent shall submit revised mining plan for conservation of additional overburden including top soil in adjoining own land outside the lease area.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 90वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

13. मेसर्स सतगुरू मिनरल्स (अकलतरा लाईम स्टोन क्वारी माईन), ग्राम व तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 954)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 42881/2019, दिनांक 10/09/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पाथर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम व तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 639 शामिल 644, 645 एवं 646, कुल क्षेत्रफल – 1.39 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 21903.44 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा का दिनांक 06/11/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 6023/खनि0/उ.यो.अ./2016, कोरबा, दिनांक 06/09/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी त्रुटिपूर्ण है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के ज्ञापन क्रमांक 638/गौण खनिज/ ई–निविदा/न.क्र./2019–20 जांजगीर, दिनांक 30/08/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 9098/खनि02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह (दिनांक 11/05/2020 तक) हेतु वैध है।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वनमण्डल, चांपा के ज्ञापन क्रमांक /तक.अधि./10102 चांपा, दिनांक 15/11/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 3 कि.मी. की दूरी पर है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. निकटतम आबादी ग्राम–अधियारीपाथ 0.45 कि.मी., शैक्षणिक संस्था अकलतरा 1.15 कि.मी. अस्पताल अकलतरा 1.7 कि.मी. एवं धार्मिक स्थल अकलतरा 2 कि.मी. दूर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.75 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 30 कि.मी. दूर है। लीलागर नदी 7.85 कि.मी. (पश्चिम दिशा), भौसमी नाला 0.65 कि.मी. (उत्तर दिशा) एवं तालाब 0.785 कि.मी. (दक्षिण–पूर्व) दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. वर्तमान में अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 4,65,000 टन, माईनेबल रिजर्व 2,17,572 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,06,693 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.038 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। उपरी मिट्टी की मात्रा 3,745 घनमीटर एवं मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन में)
प्रथम	21,903
द्वितीय	21,375
तृतीय	21,108
चतुर्थ	21,247
पंचम	20,719
छटवे	19,864
सातवे	20,320
आठवे	21,219
नौवे	19,729
दसवे	19,209

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.68 कि.ली. प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति लोकल बोंडी से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के चारो ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 573 नग पौधे प्रथम वर्ष में लगाया जाना प्रस्तावित है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:
समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चाम्पा द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 11/12/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 303वीं बैठक दिनांक 11/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिलबाग सिंह छाबड़ा एवं श्री शशि सिंह छाबड़ा, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक 1892/ख.ति./न.क./2019 जांजगीर, दिनांक 20/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 9 खदानें, क्षेत्रफल 13.218 हेक्टेयर है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज एरिया की कुछ भूमि पूर्व से उल्लंघित है। अतः उक्त एरिया पर 7.5 मीटर का सेफ्टी बेल्ट छोड़ा जाना संभव नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर का सेफ्टी बेल्ट उल्लंघित भूमि से लगी हुई लीज भूमि पर छोड़ा जाना प्रस्तावित होना बताया गया है। अनुमोदित माईनिंग प्लान में की गई गणना में उक्त सेफ्टी बेल्ट के अंतर्गत क्षेत्रफल रिजर्व को शामिल नहीं किया गया है। समिति द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान में संशोधन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 68.25	2%	Rs. 1.36	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Nayaktand, Akaltara	
			Installation of solar light system	Rs. 1.00
			Running water arrangement for toilet	Rs. 0.25
			Plantation around school campus	Rs. 0.15
			Total	Rs. 1.40

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाए।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक 1892/ख.लि./न.क्र./2019 जांजगीर, दिनांक 20/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 9 खदानें, क्षेत्रफल 13.218 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-अकलतरा) का रकबा 1.35 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-अकलतरा) को मिलाकर कुल रकबा 14.568 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.

ii. Project proponent has submitted that the water shall be supplied through Local Body In this regard, project proponent shall submit NOC from Local Body for usage of water.

iii. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

iv. Project proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.

v. Project proponent shall submit proposal for storage of top soil.

vi. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

vii. Project proponent shall submit revised mining plan incorporating either after reassessement of geological reserve, mineable reserve and blocked reserve considering 7.5 metre wide safety zone all around

mine lease area or maintaining 7.5 metre wide safety zone also towards previously mined out lease boundary by filling with overburden.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 93वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

14. मेसर्स सतगुरू मिनरल्स (अकलतरा लाईम स्टोन क्वारी माईन), ग्राम व तहसील–अकलतरा, जिला– जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 956)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 42083/2019, दिनांक 11/09/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम व तहसील–अकलतरा, जिला– जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 635/1, 635/3, 635/4 एवं 635/5, कुल क्षेत्रफल – 1.893 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 29604.38 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **नगरपालिका / ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में कार्यालय, नगरपालिका परिषद अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा का दिनांक 06/11/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खा.प्र.), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 6027/खनि6/उ.सं.अ./2016, कोरबा, दिनांक 06/09/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी त्रुटिपूर्ण है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के ज्ञापन क्रमांक 636/गौण खनिज/ ई–निविदा/न.क्र./2019–20 जांजगीर, दिनांक 30/08/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 9096/खनि02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 07/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह (दिनांक 11/03/2020 तक) हेतु वैध है।

6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वनमण्डल, चांपा के ज्ञापन क्रमांक /क्र.अधि./10101 चांपा, दिनांक 15/11/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 3 कि.मी. की दूरी पर है।

7. निकटतम आबादी ग्राम–अधियारीपाव 0.5 कि.मी., शैक्षणिक संस्था अकलतरा 1.3 कि.मी. अस्पताल अकलतरा 2 कि.मी. एवं धार्मिक स्थल अकलतरा 2 कि.मी. दूर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 30.2 कि.मी. दूर है। लीलागर नदी 8.0 कि.मी. (पश्चिम दिशा) एवं तालाब 0.78 कि.मी. (दक्षिण–पूर्व) दूर स्थित है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

9. वर्तमान में अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 5,87,562 टन, माईनेबल रिजर्व 3,06,675 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,91,341 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.044 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 5,100 घनमीटर एवं मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन में)
प्रथम	29,598
द्वितीय	28,648
तृतीय	29,604
चतुर्थ	28,714
पंचम	29,554
छटवें	28,678
सातवें	29,604
आठवें	28,728
नौवें	29,569
दसवें	28,642

नोट: तालिका में दशमवर्ष के बाद के आंकड़ों का राउण्डअॅफ किया गया है।

10. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.51 कि.ली. प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति लोकल बॉडी से जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

11. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 940 नग पौधे प्रथम वर्ष में लगाया जाना प्रस्तावित है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:
समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चाम्पा द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 11/12/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 303वीं बैठक दिनांक 11/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिलबाग सिंह छाबड़ा एवं श्री शक्ति सिंह छाबड़ा, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 1891/ख.लि./न.क्र./2019 जांजगीर, दिनांक 20/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 9 खदानें, क्षेत्रफल 12.675 हेक्टेयर है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज एरिया की कुछ भूमि पूर्व से उत्खनित है। अतः उक्त एरिया पर 7.5 मीटर का सेफ्टी बेल्ट छोड़ा जाना संभव नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर का सेफ्टी बेल्ट उत्खनित भूमि से लगी हुई लीज भूमि पर छोड़ा जाना प्रस्तावित होना बताया गया है। अनुमोदित माईनिंग प्लान में की गई गणना में उक्त सेफ्टी बेल्ट के अंतर्गत ब्लाक्ड रिजर्व को शामिल नहीं किया गया है। समिति द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान में संशोधन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 87.25	2%	Rs. 1.74	Following activities at Nearby	

			Government Primary School Village-Nayaktand, Akaltara	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 1.25
			Potable Drinking Water Facility & maintenance charge for 5 years	Rs. 0.50
			Total	Rs. 1.75

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा रत्नेंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 1691/ख.नि./न.क्र./2019 जांजगीर, दिनांक 20/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 9 खदानें, क्षेत्रफल 12.675 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अकलतरा) का रकबा 1.893 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अकलतरा) को मिलाकर कुल रकबा 14.568 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.

ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

iii. Project proponent has submitted that the water shall be supplied through Local Body in this regard, project proponent shall submit NOC from Local Body for usage of water.

iv. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

v. Project proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.

vi. Project proponent shall submit proposal for storage of top soil.

vii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

viii. Project proponent shall submit revised mining plan incorporating either after reassessement of geological reserve, mineable reserve and blocked reserve considering 7.5 metre wide safety zone all around mine lease area or maintaining 7.5 metre wide safety zone also towards previously mined out lease boundary by filling with overburden.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 93वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

15. मेसर्स श्री सुदेश कुमार सिवाना (अरौद सेण्ड माईन, ग्राम–अरौद, तहसील व जिला–बालोद), ग्राम–गुजरा, तहसील–डौण्डी, जिला–बालोद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1013)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 46207/2019, दिनांक 09/11/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–अरौद, तहसील व जिला–बालोद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन तांदुला नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 608/खनिज/उत्ख.यो.अनु /रेत/2019–20 कांकेर, दिनांक 07/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 699/खनि.लि./खनिज/2019 बालोद, दिनांक 04/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में पुल, राष्ट्रीय/राजमार्ग स्थित नहीं है।

6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 579/ख.लि./रेत खदान नीलामी/2019 बालोद, दिनांक 03/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–अरौद 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–अरौद 1.8 कि.मी. एवं अस्पताल लाटाबोड़ 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2 कि.मी. दूर है। तालाब 0.5 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 169 मीटर, न्यूनतम 152 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 68 मीटर दर्शाई गई है।

11. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 80,000 घनमीटर है। नदीतट के दायें किनारे में 17 मीटर से 16 मीटर तक एवं बायें किनारे में 89 मीटर से 88 मीटर तक छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 299वीं बैठक दिनांक 20/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/12/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र जेठवा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री शशांक सोनी, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि समिति के समक्ष अपूर्ण जानकारी / दस्तावेज होने के कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त आवेदन समिति की दिनांक 11/12/2019 को आयोजित बैठक में विचार किया जाए। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आयोजित बैठक दिनांक 11/12/2019 में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 303वीं बैठक दिनांक 11/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र जेठवा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री शशांक सोनी, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अरौंद का दिनांक 04/08/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 889/खनि. नि./खनिज/2019 बालोद, दिनांक 06/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

3. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत अरौंद के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 01, क्षेत्रफल 9 हेक्टेयर, क्षमता – 85,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18/09/2015 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी किया गया था।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। गत अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में प्री–मानसून (Post-Monsoon) आटा दिनांक 10/06/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 3 मीटर है।

7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 899/खनि. वि./स्था./2019 बालोद, दिनांक 10/12/2019 द्वारा वर्तमान में खदान बंद होने एवं आवेदित खदान को घोषित एवं आरक्षित किए जाने पश्चात् जिला स्तरीय पर्यावरण निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बालोद से दिनांक 22/05/2018 से 45,000 घनमीटर या 60 दिन की अवधि, जो भी पहले तक पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त था परंतु उक्त अवधि में खदान का संचालन नहीं किये जाने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की गई है।

8. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

I.

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)
Rs. 57	2%	Rs. 1.14

II. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार:–

S. No.	Particulars	Quantity	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)

3.	Rain Water Harvesting System Facility on Govt School of Village-Araud (Recharge pit size is 3 ft dia and 10 ft depth with slab, PVC pipe and filter media material)	9	10,000	90,000
4.	Potable Drinking Water Facility in Govt School of Village-Araud	2	15,000	30,000
	Total			**1,20,000**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। तांदुला नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–अरौद) का रकबा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,200 नग पौधे – 600 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 600 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हांकित क्षेत्र पर वृक्षारोपण किया जाएगा।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी की पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री सुदेश कुमार सिवाना, अरौंद सेण्ड माईन को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, ग्राम–अरौंद, तहसील व जिला–बालोद, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 93वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री सुदेश कुमार सिवाना, अरौंद सेण्ड माईन को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, ग्राम–अरौंद, तहसील व जिला–बालोद, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

18. मैसर्स श्री सुदेश कुमार सिवाना (देवीनवागांव सेण्ड माईन, ग्राम–देवीनवागांव, तहसील व जिला–बालोद), ग्राम–गुजरा, तहसील–डौण्डी, जिला–बालोद (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 1014)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 46225/2019, दिनांक 10/11/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–देवीनवागांव, तहसील व जिला–बालोद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन तांदुला नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–87,800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र **प्रस्तुत नहीं किया गया है।**
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 600/खनिज/उत्खनन योजना/रेत/2019–20 कांकेर, दिनांक 07/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 705/खनि.लि./खनिज/2019 बालोद, दिनांक

04/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में पुल, राष्ट्रीय/राजमार्ग स्थित नहीं है।

6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 579/ख.नि./रेत खदान नीलामी/2019 बालोद, दिनांक 03/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–देवीनवागांव 0.3 कि.मी., स्कूल ग्राम–देवीनवागांव 1 कि.मी. एवं अस्पताल लाटाबोड़ 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। तालाब 0.5 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 258 मीटर, न्यूनतम 160 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 84 मीटर दर्शाई गई है।

11. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 87,800 घनमीटर है। नदीतट के दायें किनारे में 14 मीटर तक एवं बायें किनारे में 121 मीटर से 85 मीटर तक छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 299वीं बैठक दिनांक 20/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध,

एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/12/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र जेठवा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री शशांक सोनी, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि समिति के समक्ष अपूर्ण जानकारी / दस्तावेज होने के कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त आवेदन समिति की दिनांक 11/12/2019 को आयोजित बैठक में विचार किया जाए। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा सत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आयोजित बैठक दिनांक 11/12/2019 में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 303वीं बैठक दिनांक 11/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र जेठवा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री शशांक सोनी, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत देवीनयागांव का दिनांक 15/07/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 888/खनि. दि./खनिज/2019 बालोद, दिनांक 06/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार लक्षित खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में प्री–मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 10/06/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की

गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 3 मीटर है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 899/खनि.लि./क्षेत्र./2019 बालोद, दिनांक 10/12/2019 द्वारा वर्तमान में खदान बंद होने एवं आवेदित खदान को जिला स्तरीय पर्यावरण निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बालोद से दिनांक 02/12/2016 से 03 वर्ष के लिए अधिकतम उत्खनन 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त था। उक्त अवधि में दिनांक 29/09/2017 तक 25,822 घनमीटर रेत खनन किया गया। दिनांक 05/10/2017 को नवीन उत्खनन योजना अनुसार जिला स्तरीय पर्यावरण निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बालोद से पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया जिसमें पूर्व में प्राप्त पर्यावरण स्वीकृति निरस्त करते हुए दिनांक 16/10/2017 से 50,000 घनमीटर या 60 दिन की अवधि, जो भी पहले तक पर्यावरणीय स्वीकृति किया गया था, परंतु उक्त अवधि में खदान का संचालन नहीं किये जाने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की गई है।

6. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

I.

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)
Rs. 46	2%	Rs. 0.92

II. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार:–

S. No.	Particulars	Quantity	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)
1.	Rain Water Harvesting System Facility on Govt School of Village-Devinawagaon (Recharge pit size is 3 ft dia and 10 ft depth with slab, PVC pipe and filter media material)	7	10,000	70,000
2.	Potable Drinking Water Facility in Govt School of Village-Devinawagaon	2	15,000	30,000
	Total			1,00,000

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। तांपुला नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–देवीनवागांव) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,200 नग पौधे – 600 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 600 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हांकित क्षेत्र पर वृक्षारोपण किया जाएगा।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री सुदेश कुमार सिवाना, देवीनवागांव सैण्ड माईन्स को फार्म ऑफ खसरा क्रमांक 01, ग्राम–देवीनवागांव, तहसील व जिला–बालोद, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 93वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री सुदेश कुमार सिवाना, देवीनवागांव सेण्ड माईन को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, ग्राम–देवीनवागांव, तहसील व जिला–बालोद, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

17. मेसर्स श्री ऋषिराज सिंघानिया (भवराडांड सेण्ड माईन, ग्राम–भवराडांड, तहसील–सीतापुर, जिला–सरगुजा), जीवन अपार्टमेंट, शंकर नगर चौक, सिटी रायपुर, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1016)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 46278/2019, दिनांक 12/11/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–भवराडांड, तहसील–सीतापुर, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 448, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में है। उत्खनन मान्डव नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–81,600 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भवराडांड दिनांक 18/09/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (छ.प्र.), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 2027/खनिज/ख.लि.3/उत्खनन यो./2019 अम्बिकापुर, दिनांक 07/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि. शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 2017 सरगुजा, दिनांक 06/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 2015 सरगुजा, दिनांक 06/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. एल.डी.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 1304/खनिज/खलि.4/रेत नीलामी/19 अम्बिकापुर, दिनांक 03/10/2019 द्वारा जारी की गई जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–कैनापारा 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–कैनापारा 2 कि.मी. एवं अस्पताल सीतापुर 3.75 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.05 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 22.3 कि.मी. दूर है। तालाब 1.4 कि.मी., नहर 2.35 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 145 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 58.18 मीटर दर्शाई गई है।

11. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.25 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 81,600 घनमीटर प्रतिवर्ष है। नदीतट के दक्षिण–पश्चिमी किनारे में 10 मीटर तक एवं उत्तर–पूर्वी किनारे में 24 मीटर तक छोड़ा गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत भवराडांड के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 448, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, क्षमता – 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण जिला–सरगुजा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति ज्ञापन क्रमांक 3701 दिनांक 26/10/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी किया गया था। तत्पश्चात् राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 894 दिनांक 14/10/2019 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री ऋषिराज सिंघानिया (अधिमानी बोलीदार) के नाम से हस्तांतरण कर दिया गया है।

13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 299वीं बैठक दिनांक 20/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2016 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/12/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 302वीं बैठक दिनांक 10/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ऋषिराज सिंघानिया, प्रोपराईटर एवं श्री बजरंग सिंह पैकरा, सहायक खनि अधिकारी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में विभिन्न बिन्दुओं पर दिये गये लेवल एवं टोटल स्टेशन के लिए गये लेवल में भिन्नता है। अतः संशोधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का सक्षम रूप से पालन नहीं किया गया है। नदीतट पर वृक्षारोपण पूर्ण होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध निकटतम क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है।
3. उत्खनित रेत को लीज क्षेत्र में एकत्रित कर मशीनों के माध्यम से वाहनों में लोडिंग किया जाएगा।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/12/2019 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 303वीं बैठक दिनांक 11/12/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के आधार पर दिसम्बर 2017 से मई 2018 तक 4,500 घनमीटर उत्खनन किया गया है।
2. संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खा.प्र.), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 2232/खनिज/ख.लि.3/उत्खनन यो./2019 अम्बिकापुर, दिनांक 11/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 06/11/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 3.5 मीटर है।

5. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 43	2%	Rs. 0.86	Following activities at Nearby Matrichaya Sanskrit Vidhayalaya Village-Mangrailgarh	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.35
			Potable Drinking Water Facility & maintenance charge for 5 years	Rs. 0.45
			Installation of water tank and water pipe line	Rs. 0.20
			Toilet Construction and Running water arrangement for toilet	Rs. 0.25
			Total	Rs. 1.25

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। माण्ड नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. आवेदित खदान (ग्राम–भवराडांड) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुँच मार्ग में भी वृक्षारोपण किया जाएगा।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स श्री ऋषिराज सिंघानिया, भवराडांड सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 448, ग्राम–भवराडांड, तहसील–सीतापुर, जिला–सरगुजा, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 93वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स श्री ऋषिराज सिंघानिया, भवराडांड सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 448, ग्राम–भवराडांड, तहसील–सीतापुर, जिला–सरगुजा, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

18. मेसर्स बासीन फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.–श्री मनीष कुमार साहू), ग्राम–बासीन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 956)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 42791/2019 दिनांक 14/09/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 29/09/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 23/11/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बासीन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 1312/1 एवं 1314/1, कुल क्षेत्रफल – 0.47 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,360.8 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लेग स्टोन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बासीन दिनांक 25/07/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1106–3/ख.नि./तीन–6/2019 रायपुर, दिनांक 08/08/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 749/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.281 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 709/खनि2/न.क्र./2019 गरियाबंद द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है। उक्त प्रमाण पत्र में तिथि का उल्लेख नहीं है।
5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक /मा.वि./अनापत्ति/6208 गरियाबंद, दिनांक 11/11/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 1.8 कि.मी. तथा बारनवापारा अभयारण्य 80 कि.मी. की दूरी पर है।
6. एल.डी.आई. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 9337–44/खनि02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह (दिनांक 25/04/2020 तक) हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. निकटतम आबादी ग्राम–बासीन 0.9 कि.मी., स्कूल ग्राम–बासीन 0.95 कि.मी., अस्पताल फिंगेश्वर 5.8 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन 13.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित

है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.6 कि.मी. दूर है। सूखा नदी 3.5 कि.मी. एवं तालाब 0.125 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,12,800 टन एवं माईनेबल रिजर्व 12,261 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.021 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 6,771 घनमीटर एवं मोटाई लगभग 5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,274
द्वितीय	1,071
तृतीय	1,360
चतुर्थ	1,231
पंचम	1,296
छटवें	1,146
सातवें	1,283
आठवें	1,088
नौवें	712
दसवें	589

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों का राउण्डअॅफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.54 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 713 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 12/12/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनीष कुमार साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 749/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.281 हेक्टेयर हो रहा है, जबकि उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह चंदेल रकबा 4.00 हेक्टेयर का उल्लेख त्रुटिवश हो गया है, जो कि 0.4 हेक्टेयर का खदान है। अतः इस बाबत संशोधित प्रमाण पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

2. भूमि श्री मन्हरण ध्रुव के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जारी एल.ओ.आई. अनुसार निकटतम सार्वजनिक कच्चा मार्ग 10 मीटर की दूरी पर था। माईनिंग प्लान के अनुमोदन के समय यह सार्वजनिक कच्चा मार्ग पक्का बन जाने के कारण नियमानुसार सड़क से 50 मीटर की दूरी के क्षेत्रफल को गैर माईनिंग जोन चिन्हित किया गया है। उक्त क्षेत्र में टॉप सॉईल को एकत्र कर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

4. परियोजना से कुल टॉप सॉईल 6,771 घनमीटर जनित होगा। सेफ्टी जोन में 630 घनमीटर एवं गैर माईनिंग जोन में 3,725 घनमीटर टॉप सॉईल को एकत्र कर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। शेष टॉप सॉईल 2,416 घनमीटर निकटतम क्षेत्र में माईनिंग विभाग से अनुमति उपरांत संरक्षित किया जाएगा। समिति द्वारा टॉप सॉईल 2,416 घनमीटर को निकटतम क्षेत्र में संरक्षित किए जाने का उल्लेख माईनिंग प्लान में किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति को समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 12.62	2%	Rs. 0.25	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Tohgipara, Basin	

			Potable Drinking Water Facility & maintenance charge for 5 years	Rs. 0.45
			Running water arrangement for toilet	Rs. 0.20
			Total	**Rs. 0.65**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यावार खर्च का विवरण) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाए।

6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 749/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.261 हेक्टेयर है। उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह चंदेल का रकबा 0.4 हेक्टेयर के स्थान पर 4.00 हेक्टेयर अंकित किया गया है। समिति द्वारा इसे 0.4 हेक्टेयर रकबा मान्य किया गया। आवेदित खदान (ग्राम–बासीन) का रकबा 0.47 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बासीन) को मिलाकर कुल रकबा 38.151 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.

ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

iii. Project proponent has submitted that the water shall be supplied through Gram Panchayat. In this regard, project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.

iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines from concerned department.

v. Project proponent shall submit revised certificate regarding no establishment of public utilities such as temple, cremation ground, hospital, school, bridge, dam, anicut and water supply source etc. within 200 meter radius from concerned department.

vi. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

vii. Project proponent shall submit proposal for storage of top soil and amend the minig plan accordingly.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 93वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का आलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

19. मेसर्स बरमांठा फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.–श्री तुलसी राम यदु), ग्राम–बरमांठा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 978)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 45205/2019 दिनांक 24/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 23/11/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–बरमांठा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 15, कुल क्षेत्रफल – 0.43 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 704.52 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लेग स्टोन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरमांठा का दिनांक 14/07/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक

8507–08 / खनि 02 / मा.पत्र.अनुमोदन / न.क.03 / 2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 / 10 / 2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 754 / खनि / स्था. / 2019 गरियाबंद, दिनांक 26 / 11 / 2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.321 हेक्टेयर है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 702 / खनि2 / न.क. / 2019 गरियाबंद, दिनांक 18 / 11 / 2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक / मा.चि. / अनापत्ति / 6336 गरियाबंद दिनांक 20 / 11 / 2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.5 कि.मी. तथा बारनवापारा अभयारण्य 61 कि.मी. की दूरी पर है।

6. एल.ओ.आई. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 9337–44 / खनि02 / उ.प.–अनु.निष्पा. / न.क. 60 / 2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 / 11 / 2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह (दिनांक 25 / 04 / 2020 तक) हेतु वैध है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–बरमांडा 0.48 कि.मी., स्कूल ग्राम–बरमांडा 0.78 कि.मी. एवं अस्पताल किरेश्वर 5.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.6 कि.मी. दूर है। सूखा नदी 3.8 कि.मी. एवं तालाब 0.58 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 72,240 टन, माईनेबल रिजर्व 3,477 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 3,303 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.015 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 3,312 घनमीटर एवं मोटाई लगभग 5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	704
द्वितीय	691
तृतीय	663
चतुर्थ	677

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंको का रायल्टीअंकीय किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.79 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 884 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 12/12/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री तुलसीराम यदु, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 749/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.281 हेक्टेयर हो रहा है, जबकि उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह चंदेल रकबा 4.00 हेक्टेयर का उल्लेख त्रुटिवश हो गया है, जो कि 0.4 हेक्टेयर का खदान है। अतः इस बाबत् संशोधित प्रमाण पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
2. भूमि आवेदक के नाम पर है।
3. परियोजना से कुल टॉप सॉईल 3,312 घनमीटर जनित होगा। जिसका उपयोग लीज क्षेत्र में पूर्व से उत्खनित क्षेत्र के बैक फिलिंग में किया गया।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 5.19	2%	Rs. 0.10	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Barbhata	
			Potable Drinking Water Facility & maintenance charge for 5 years	Rs. 0.45
			Total	Rs. 0.45

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यभार खर्च का विवरण) ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाए।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 749/खनि./रथा./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.281 हेक्टेयर है। उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह चंदेल का रकबा 0.4 हेक्टेयर के स्थान पर 4.00 हेक्टेयर अंकित किया गया है। समिति द्वारा इसे 0.4 हेक्टेयर रकबा मान्य किया गया। आवेदित खदान (ग्राम–बरभाठा) का रकबा 0.43 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बरभाठा) को मिलाकर कुल रकबा 35.151 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर में

(लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.

ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

iii. Project proponent has submitted that the water shall be supplied through Gram Panchayat. In this regard, project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.

iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines from concerned department.

v. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 93वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

20. मेसर्स बरमांता फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.– श्री डायमंड यदु), ग्राम–बरमांता, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 980)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 45232/2019, दिनांक 24/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 06/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 23/11/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरमांता, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 4/1, कुल क्षेत्रफल – 1.36 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 15,987.36 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लेग स्टोन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरमांता का दिनांक 14/07/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 8501–02/खनि02/ना.पत्र.अनुमोदन/न.क.03/2019 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 752/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 37.391 हेक्टेयर है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 708/खनि2/न.क्र./2019 गरियाबंद, दिनांक 16/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक /मा.वि./अनापत्ति/6338 गरियाबंद दिनांक 20/11/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.5 कि. मी. तथा बारनवापारा अभयारण्य 81 कि.मी. की दूरी पर है।

6. एल.ओ.आई. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 9037–44/खनि02/छ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह (दिनांक 25/04/2020 तक) हेतु वैध है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–बरभांठा 0.8 कि.मी., स्कूल ग्राम–बरभांठा 0.8 कि.मी. एवं अस्पताल फिंगेश्वर 5.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.6 कि. मी. एवं राज्यमार्ग 2.7 कि.मी. दूर है। सूखा नदी 3.7 कि.मी. एवं तालाब 0.78 कि. मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 3,26,400 टन, माईनेबल रिजर्व 1,59,259 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,51,296 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.05 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 44,111 घनमीटर एवं मोटाई लगभग 5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	15,130
द्वितीय	15,987
तृतीय	15,280
चतुर्थ	14,672
पंचम	15,260
छटवें	14,603
सातवें	15,287
आठवें	14,692
नौवें	15,356

दसवें	15,027

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.49 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 762 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 12/12/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कामसिंह यदु, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गुरुग्राम के ज्ञापन क्रमांक 749/खनि./स्था./2019 गुरुग्राम, दिनांक 28/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.281 हेक्टेयर हो रहा है, जबकि उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह यादव रकबा 4.00 हेक्टेयर का उल्लेख त्रुटिवश हो गया है, जो कि 0.4 हेक्टेयर का खदान है। अतः इस बाबत् संशोधित प्रमाण पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
2. भूमि श्री लेखराम यदु के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. परियोजना से कुल टॉप सॉईल 44,111 घनमीटर जनित होगा। सेफ्टी जोन एवं 502 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के बैक फिलिंग में 2,500 घनमीटर टॉप सॉईल को एकत्र कर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। शेष टॉप सॉईल 41,611 घनमीटर निकटतम क्षेत्र में माईनिंग विभाग से अनुमति उपरांत संरक्षित किया जाएगा।

समिति द्वारा टॉप सॉईल 41.611 घनमीटर को निकटतम क्षेत्र में संरक्षित किए जाने का उल्लेख माईनिंग प्लान में किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 19.41	2%	Rs. 0.38	Following activities at Nearby Government Middle School Village-Barbhata	
			Rain water harvesting system	Rs. 0.80
			Total	Rs. 0.80

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाए।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 749/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.281 हेक्टेयर है। उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह चंदेल का रकबा 0.4 हेक्टेयर के स्थान पर 4.00 हेक्टेयर अंकित किया गया है। समिति द्वारा इसे 0.4 हेक्टेयर रकबा मान्य किया गया। आवेदित खदान (ग्राम–बरभाठा) का रकबा 1.36 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम– बरभाठा)) को मिलाकर कुल रकबा 35.151 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.

ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

iii. Project proponent has submitted that the water shall be supplied through Gram Panchayat. In this regard, project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.

iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines from concerned department.

v. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

vi. Project proponent shall submit proposal for storage of top soil and amend the minig plan accordingly.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 83वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

21. मेसर्स बरभांठा फ्लेग स्टोन माईन, (प्रो.– श्री घनश्याम यदु) ग्राम–बरभांठा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 982)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /45284/2019, दिनांक 24/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 23/11/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–बरभांठा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 4/3, कुल क्षेत्रफल – 0.49 हैक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,517.12 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लेग स्टोन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरभांठा का दिनांक 07/09/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 8490–99/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.03/2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 751/खनि./खा./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.261 हेक्टेयर है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 704/खनि2/न.क्र./2019 गरियाबंद, दिनांक 18/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./अनापत्ति/6332 गरियाबंद दिनांक 20/11/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.5 कि.मी. तथा बारनवापारा अभयारण्य 80 कि.मी. की दूरी पर है।

6. एल.ओ.आई. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 9337–44/खनि02/उ.प.–अनु.निक्षा./न.क्र. 50/2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह (दिनांक 25/04/2020 तक) हेतु वैध है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–बरभांठा 0.56 कि.मी., स्कूल ग्राम–बरभांठा 0.8 कि.मी. एवं अस्पताल किंगेश्वर 5.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.7 कि.मी. दूर है। सूखा नदी 3.7 कि.मी. एवं तालाब 0.7 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,17,600 टन, माईनेबल रिजर्व 25,142 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 23,885 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.03 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 9,144 घनमीटर एवं मोटाई लगभग 5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,383
द्वितीय	2,467
तृतीय	2,326
चतुर्थ	2,462
पंचम	2,291
छठवें	2,304
सातवें	2,271
आठवें	2,428
नौवें	2,346
दसवें	2,517

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.63 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 450 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 12/12/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री घनश्याम यदु, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 749/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.281 हेक्टेयर हो रहा है, जबकि उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह चंदेल रकबा 4.00 हेक्टेयर का उल्लेख त्रुटिवश हो

गया है, जो कि 0.4 हेक्टेयर का खदान है। अतः इस बाबत् संशोधित प्रमाण पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

2. भूमि आवेदक के नाम पर है।

3. परियोजना से कुल टॉप सॉईल 9,144 घनमीटर जमिल होगा। सैफ्टी जोन एवं 255 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के बैक फिलिंग में 1,400 घनमीटर टॉप सॉईल को एकत्र कर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। शेष टॉप सॉईल 7,744 घनमीटर निकटतम क्षेत्र में माईनिंग विभाग से अनुमति उपरांत संरक्षित किया जाएगा। समिति द्वारा टॉप सॉईल 7,744 घनमीटर को निकटतम क्षेत्र में संरक्षित किए जाने का उल्लेख माईनिंग प्लान में किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 8.84	2%	Rs. 0.17	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Barbhata	
			Rain water harvesting system	Rs. 0.80
			Total	Rs. 0.80

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाए।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 749/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार

आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.281 हेक्टेयर है। उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह चंदेल का रकबा 0.4 हेक्टेयर के स्थान पर 4.00 हेक्टेयर अंकित किया गया है। समिति द्वारा इसे 0.4 हेक्टेयर रकबा मान्य किया गया। आवेदित खदान (ग्राम–बरभांठा) का रकबा 0.49 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बरभांठा) को मिलाकर कुल रकबा 38.151 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.

ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

iii. Project proponent has submitted that the water shall be supplied through Gram Panchayat. In this regard, project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.

iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines from concerned department.

v. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

vi. Project proponent shall submit proposal for storage of top soil and amend the minig plan accordingly.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 93वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

22. मेसर्स बरभांठा फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.–श्री समीर यदु), ग्राम–बरभांठा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (खनिजालय का नस्ती क्रमांक 984)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 45260/2019, दिनांक 24/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 23/11/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फ्लैग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–बरभांठा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 80, 81 एवं 82, कुल क्षेत्रफल – 0.86 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 5,910.6 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लैग स्टोन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरभांठा का दिनांक 13/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 8510–11/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.03/2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 753/खनि./क्वा./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 37.891 हेक्टेयर है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 706/खनि2/न.क्र./2019 गरियाबंद, दिनांक 18/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./अनापत्ति/6334 गरियाबंद दिनांक 20/11/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.5 कि.मी. तथा बारनवापारा अभयारण्य 81 कि.मी. की दूरी पर है।

6. एल.ओ.आई. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 9337–44/खनि02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह (दिनांक 25/04/2020 तक) हेतु वैध है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–बरभांठा 0.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–बरभांठा 0.61 कि.मी. एवं अस्पताल फिंगेश्वर 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.4 कि.मी. दूर है। सूखा नदी 3.5 कि.मी. एवं तालाब 0.3 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,06,400 टन, माईनेबल रिजर्व 58,221 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 55,310 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.045

हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 14 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 19,367 घनमीटर एवं मोटाई लगभग 4 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,472
द्वितीय	5,700
तृतीय	5,609
चतुर्थ	5,417
पंचम	5,711
छटवें	5,917
सातवें	5,766
आठवें	5,472
नौवें	5,262
दसवें	4,984

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.63 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 687 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 12/12/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीर यदु, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 749/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.281 हेक्टेयर हो रहा है, जबकि उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह धनेल रकबा 4.00 हेक्टेयर का उल्लेख त्रुटिवश हो गया है, जो कि 0.4 हेक्टेयर का खदान है। अतः इस बाबत् संशोधित प्रमाण पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

2. भूमि श्री बालमुकुन्द बंदु के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. परियोजना से कुल टॉप सॉईल 19,337 घनमीटर जनित होगा। सेफ्टी जोन में 1,360 घनमीटर टॉप सॉईल को एकत्र कर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। शेष टॉप सॉईल 18,017 घनमीटर निकटतम क्षेत्र में माईनिंग विभाग से अनुमति उपरांत संरक्षित किया जाएगा। समिति द्वारा टॉप सॉईल 18,017 घनमीटर को निकटतम क्षेत्र में संरक्षित किए जाने का उल्लेख माईनिंग प्लान में किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 14.26	2%	Rs. 0.28	Following activities at Nearby Government Middle School Village-Barbhata	
			Potable Drinking Water Facility & maintenance charge for 5 years	Rs. 0.45
			Running water arrangement for toilet	Rs. 0.20
			Total	Rs. 0.65

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाए।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 753/खनि/स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 37.891 हेक्टेयर है। उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह चंदेल का रकबा 0.4 हेक्टेयर के स्थान पर 4.00 हेक्टेयर अंकित किया गया है। समिति द्वारा इसे 0.4 हेक्टेयर रकबा मान्य किया गया। आवेदित खदान (ग्राम–बरमांठा) का रकबा 0.86 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बरमांठा) को मिलाकर कुल रकबा 38.151 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.

ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

iii. Project proponent has submitted that the water shall be supplied through Gram Panchayat. In this regard, project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.

iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines from concerned department.

v. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

vi. Project proponent shall submit proposal for storage of top soil and amend the minig plan accordingly.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 93वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा मसौदा का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

23. मेसर्स बासीन फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.–श्री नीलम कुमार साहू), ग्राम–बासीन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 979)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 45225/2019, दिनांक 24/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 23/11/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–बासीन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 1459/1, कुल क्षेत्रफल – 0.52 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,435.04 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लेग स्टोन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बासीन का दिनांक 17/02/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रज्ञा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 8518–17/खनि02/ना.प्ल.अनुमोदन/न.क.03/2019 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 795/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.231 हेक्टेयर है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 705/खनि2/न.क्र./2019 गरियाबंद, दिनांक 18/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./अनापत्ति/6342 गरियाबंद दिनांक 20/11/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.5 कि. मी. तथा बारनवापारा अभयारण्य 80 कि.मी. की दूरी पर है।

6. एल.डी.आई. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 9337–44/खनि02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 19/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह (दिनांक 25/04/2020 तक) हेतु वैध है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–बासीन 0.3 कि.मी., स्कूल ग्राम–बरमांडा 1 कि.मी. एवं अस्पताल किंगेश्वर 5.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.75 कि.मी. दूर है। महानदी 5.5 कि.मी. एवं तालाब 0.5 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,12,320 टन, माईनेबल रिजर्व 22,900 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 21,812 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.028 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 16,032 घनमीटर एवं मोटाई लगभग 6 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,189
द्वितीय	2,052
तृतीय	2,223
चतुर्थ	2,086
पंचम	2,216
छटवें	2,059
सातवें	2,230
आठवें	2,093
नौवें	2,230
दशवें	2,435

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.71 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 429 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 12/12/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नीलम कुमार साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 785/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 28/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.231 हेक्टेयर हो रहा है, जबकि उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह चंदेल रकबा 4.00 हेक्टेयर का उल्लेख त्रुटिवश हो गया है, जो कि 0.4 हेक्टेयर का खदान है। अतः इस बाबत् संशोधित प्रमाण पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
2. भूमि आवेदक के नाम पर है।
3. परियोजना से कुल टॉप सॉईल 16,032 घनमीटर जनित होगा। सेफ्टी जोन में 840 घनमीटर टॉप सॉईल को एकत्र कर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। शेष टॉप सॉईल 15,192 घनमीटर निकटतम क्षेत्र में माईनिंग विभाग से अनुमति उपरांत संरक्षित किया जाएगा। समिति द्वारा टॉप सॉईल 15,192 घनमीटर को निकटतम क्षेत्र में संरक्षित किए जाने का उल्लेख माईनिंग प्लान में किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 10.38	2%	Rs. 0.20	Following activities at Nearby Government Higher Secondary School Village-Basin	
			Potable Drinking Water Facility & maintenance charge for 5 years	Rs. 0.45
			Running water arrangement for	Rs. 0.20

			toilet	
			Total	Rs. 0.65

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाए।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 755/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.231 हेक्टेयर है। उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह चंदेल का रकबा 0.4 हेक्टेयर के स्थान पर 4.00 हेक्टेयर अंकित किया गया है। समिति द्वारा इसे 0.4 हेक्टेयर रकबा मान्य किया गया। आवेदित खदान (ग्राम–बारीन) का रकबा 0.52 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बारीन) को मिलाकर कुल रकबा 35.151 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कॅटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.

ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

iii. Project proponent has submitted that the water shall be supplied through Gram Panchayat. In this regard, project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.

iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines from concerned department.

v. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

vi. Project proponent shall submit proposal for storage of top soil and amend the minig plan accordingly.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 93वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

24. मेसर्स बासीन फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.–श्री फणेन्द्र यदु), ग्राम–बासीन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 981)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 45235/2019, दिनांक 24/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 23/11/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–बासीन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 1462/1 एवं 1465, कुल क्षेत्रफल – 0.88 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 3474.72 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लेग स्टोन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बासीन का दिनांक 26/09/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 8504–05/खनि02/मा.पर.अनुमोदन/न.क.03/2019 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 748/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 37.871 हेक्टेयर है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 703/खनि2/न.क./2019 गरियाबंद, दिनांक 18/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र

जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक /मा.वि./अनापत्ति/6344 गरियाबंद दिनांक 20/11/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.5 कि.मी. तथा बारनवापारा अभयारण्य 80 कि.मी. की दूरी पर है।

6. एल.ओ.आई. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 9337–44/खनि02/उ.प.–अनु.विषय/न.क्र. 50/2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह (दिनांक 25/04/2020 तक) हेतु वैध है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–बासीन 0.4 कि.मी., स्कूल ग्राम–बरमांठा 0.85 कि.मी. एवं अस्पताल बासीन 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.55 कि.मी. दूर है। सूखा नदी 4.1 कि.मी. एवं तालाब 0.48 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,11,200 टन, माईनेबल रिजर्व 34,740 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 33,003 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.051 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 21,792 घनमीटर एवं मोटाई लगभग 5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,420
द्वितीय	3,192
तृतीय	3,443
चतुर्थ	3,167
पंचम	3,388
छटवें	3,283
सातवें	3,440
आठवें	3,283
नौवें	3,475
दसवें	2,914

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.64 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 774 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 12/12/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री फणेन्द्र यदु, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 748/खनि./क्षा./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 37.871 हेक्टेयर हो रहा है, जबकि उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह चंदेल रकबा 4.00 हेक्टेयर का उल्लेख त्रुटिवश हो गया है, जो कि 0.4 हेक्टेयर का खदान है। अतः इस बाबत् संशोधित प्रमाण पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
2. भूमि आवेदक के नाम पर है।
3. परियोजना से कुल टॉप सॉईल 21,792 घनमीटर जनित होगा। सेफ्टी जोन में 1,500 घनमीटर टॉप सॉईल को एकत्र कर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। शेष टॉप सॉईल 20,292 घनमीटर निकटतम क्षेत्र में माईनिंग विभाग से अनुमति उपरांत संरक्षित किया जाएगा। समिति द्वारा टॉप सॉईल 20,292 घनमीटर को निकटतम क्षेत्र में संरक्षित किए जाने का उल्लेख माईनिंग प्लान में किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 17.19	2%	Rs. 0.34	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Basin	
			Rain water harvesting system	Rs. 0.80
			Total	Rs. 0.80

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाए।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 748/खनि./क्षेत्र./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 37.871 हेक्टेयर है। उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह चंदेल का रकबा 0.4 हेक्टेयर के स्थान पर 4.00 हेक्टेयर अंकित किया गया है। समिति द्वारा इसे 0.4 हेक्टेयर रकबा मान्य किया गया। आवेदित खदान (ग्राम-बासीन) का रकबा 0.88 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बासीन) को मिलाकर कुल रकबा 35.151 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर

(लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.

ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

iii. Project proponent has submitted that the water shall be supplied through Gram Panchayat. In this regard, project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.

iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines from concerned department.

v. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

vi. Project proponent shall submit proposal for storage of top soil and amend the minig plan accordingly.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 93वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

25. मेसर्स बासीन फ्लेग स्टोन माईन, (प्रो. श्री प्रमोद सिंग चंदेल) ग्राम–बासीन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 983)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 46272/2019 दिनांक 24/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 23/11/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–बासीन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 1326/2, कुल क्षेत्रफल – 0.40 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 3032.4 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लेग स्टोन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बासीन का दिनांक 26/09/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक

8513–14/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.09/2019 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 750/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.351 हेक्टेयर है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 707/खनि2/न.क्र./2019 गरियाबंद, दिनांक 18/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक /मा.वि./अनापत्ति/0348 गरियाबंद दिनांक 20/11/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.5 कि.मी. तथा बारनवापारा अभयारण्य 80 कि.मी. की दूरी पर है।

6. एल.ओ.आई. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 9337–44/खनि02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 19/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह (दिनांक 25/04/2020 तक) हेतु वैध है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–बासीन 0.8 कि.मी., स्कूल ग्राम–बासीन 0.85 कि.मी. एवं अस्पताल किरंगेश्वर 5.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12.05 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.4 कि.मी. दूर है। सुक्खा नदी 3.5 कि.मी. एवं तालाब 0.21 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 98,000 टन, माईनेबल रिजर्व 21,751 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 20,663 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.023 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 10,230 घनमीटर एवं मोटाई लगभग 5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3032
द्वितीय	2911
तृतीय	2784
चतुर्थ	2934
पंचम	2832

छठवें	2955
सातवें	2832
आठवें	130
नौवें	123
दसवें	130

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.1 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 345 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 12/12/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रमोद तिवारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 750/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 28/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.351 हेक्टेयर हो रहा है जबकि उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में प्रस्तावित खदान का रकबा 4.00 हेक्टेयर का उल्लेख त्रुटिवश हो गया है, जो कि 0.4 हेक्टेयर का खदान है। अतः इस बाबत् संशोधित प्रमाण पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

2. भूमि आवेदक के नाम पर है।

3. परियोजना से कुल टॉप सॉईल 10,230 घनमीटर जनित होगा। सेफ्टी जोन में 670 घनमीटर टॉप सॉईल को एकत्र कर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

शेष टॉप सॉईल 9,500 घनमीटर निकटतम क्षेत्र में माईनिंग विभाग से अनुमति उपरांत संरक्षित किया जाएगा। समिति द्वारा टॉप सॉईल 9,500 घनमीटर को निकटतम क्षेत्र में संरक्षित किए जाने का उल्लेख माईनिंग प्लान में किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 10.45	2%	Rs. 0.209	Following activities at Nearby Government Higher Secondary School Village-Basin	
			Rain water harvesting system	Rs. 1.00
			Total	Rs. 1.00

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाए।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 750/खनि./क्षा./2019 गरियाबंद, दिनांक 28/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.351 हेक्टेयर है। उक्त प्रमाण पत्र में प्रस्तावित खदान का रकबा 0.4 हेक्टेयर के स्थान पर 4.00 हेक्टेयर अंकित किया गया है। समिति द्वारा इसे 0.4 हेक्टेयर रकबा मान्य किया गया। आवेदित खदान (ग्राम–बासीन) को मिलाकर कुल रकबा 35.151 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि

स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.

ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

iii. Project proponent has submitted that the water shall be supplied through Gram Panchayat. In this regard, project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.

iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines from concerned department.

v. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

vi. Project proponent shall submit proposal for storage of top soil and amend the minig plan accordingly.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 93वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

26. सरपंच, ग्राम पंचायत कण्डरका (कण्डरका सेण्ड माईन), ग्राम–कण्डरका, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 799)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 33839/ 2019, दिनांक 23/03/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 05/04/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 25/11/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कण्डरका, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 830, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन खारून नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बम्हारका का दिनांक 03/02/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 1092/खनि.लि./उ.यो./2019 बेमेतरा, दिनांक 12/03/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 1154/खनि.लिपि./2019 बेमेतरा, दिनांक 11/02/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज मिट्टी ईंट (फिक्स चिमनी द्वारा ईंट निर्माण) उत्खननपट्टा की 5 खदाने स्वीकृत है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 832/खनि.लिपि./2019 बेमेतरा, दिनांक 16/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

7. निकटतम आबादी ग्राम–पथरीडीह 0.2 कि.मी., स्कूल 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10 कि.मी. दूर है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

9. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 115 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – औसत 60 मीटर दर्शाई गई है।

10. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 50,000 घनमीटर है। नदीतट के किनारों में औसत 10 मीटर छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 11/12/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 303वीं बैठक दिनांक 11/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष गढ़पाले, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। खनि निरीक्षक के अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। खनि निरीक्षक द्वारा उपरोक्त जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 1127/खनि. लिपि./2019 बेमेतरा, दिनांक 12/12/2019 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर नस्तीबद्ध करने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 1127/खनि. लिपि./2019 बेमेतरा, दिनांक 12/12/2019 द्वारा प्रेषित पत्र में निम्न तथ्य उल्लेखित है:-

"वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा रेत खदान हेतु छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 बनाया गया है, जिसके अनुसार रेत खदान को संबंधित ग्राम पंचायत को न देते हुए रेत खदान का रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से नीलामी किये जाने नियम बनाया गया है। अतः संबंध ग्राम पंचायत कण्डरका के द्वारा उक्त रेत खदान का पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर नस्तीबद्ध करने का कष्ट करें।"

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदन को नस्तीबद्ध करने हेतु प्रस्तुत अनुरोध पत्र को स्वीकार करते हुये आवेदन को कि-लिस्ट / निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 93वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती

का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

27. मेसर्स नांदगांव फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री अश्वनी चीवर), ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 940)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40643/2019, दिनांक 07/08/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 26/08/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/09/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 3271/2 एवं 3274, कुल क्षेत्रफल – 0.7 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 3,825 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फर्शी पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नांदगांव का दिनांक 24/05/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलीग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /ख.लि./तीन–6/2019/1047–2 रायपुर, दिनांक 02/08/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1023/क/ई–निविदा/ख.लि./न.क्र. 63/2018 महासमुंद, दिनांक 08/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर दिनांक 09/09/2013 के पश्चात् अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.37 हेक्टेयर है तथा 1 खदान मेसर्स श्रीमति सरोज चन्द्राकर 0.83 हेक्टेयर को दिनांक 08/03/2019 के द्वारा उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति जारी किया गया है।

4. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 794/क/ई–निविदा/ख.लि./न.क्र.59/2018 महासमुंद, दिनांक 30/05/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 30 वर्ष की अवधि तक है।

5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./4078 महासमुंद, दिनांक 31/07/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि वनक्षेत्र से लगभग 2.2 कि.मी. दूर है।

6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. निकटतम आबादी ग्राम–नांदगांव 2 कि.मी. एवं महासमुंद 8 कि.मी., प्राइमरी स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–नांदगांव 3 कि.मी., निकटतम रेलवे स्टेशन बेलसोण्डा लगभग 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.2 कि.मी. दूर है। खुरर नाला 0.05 कि.मी., कंनाल 0.06 कि.मी. एवं महानदी 2 कि.मी. दूर है। तुमगांव आरक्षित वन 10 कि.मी. दूर है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

9. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,05,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 44,595 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.314 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। मैन्युअल ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,020	1.5	1,530	3,634
द्वितीय	1,070	1.5	1,605	3,812
तृतीय	1,100	1.5	1,650	3,919
चतुर्थ	384	1.5	1,650	3,919
	716			
पंचम	1,200	1.5	1,800	4,275

आगामी पांच वर्षों की उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छटवें	1,230	1.5	1,845	4,382
सातवें	1,240	1.5	1,860	4,417
आठवें	1,250	1.5	1,875	4,453
नौवें	239	1.5	1,920	4,560
	1,041			
दशवें	1,290	1.5	1,935	4,596

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

10. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

11. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 450 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 298वीं बैठक दिनांक 19/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 21/11/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

(ब) समिति की 300वीं बैठक दिनांक 21/11/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनिल पारीक, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment	Amount Required for CER	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)

	to be Spent	Activities (in Lakh)	Particulars	CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)
Rs. 30	2%	Rs. 0.6	Following activities at Govt. Primary school Village-Nandgaon	
			Rain water harvesting	Rs. 0.40
			potable drinking water facility,	Rs. 0.18
			Running water facility for toilets	Rs. 0.02
			Total	**Rs. 0.60**

समिति द्वारा सत्संगम सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:–

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त वांछित जानकारी हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छ.ग. की 300वीं बैठक दिनांक 21/11/2019 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 06/12/2019 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1957/क/ई–निविदा/ख.लि./न.क्र.45/2017 महासमुंद, दिनांक 29/11/2019 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 0.86 हेक्टेयर है तथा 1 खदान मेसर्स श्रीमती सरोज चन्द्राकर 0.83 हेक्टेयर को दिनांक 08/03/2019 के द्वारा उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति जारी किया गया है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1958/क/ई–निविदा/ख.लि./न.क्र.45/2017 महासमुंद, दिनांक 29/11/2019 के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर,

मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

4. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1957 / क / ई–निविदा / ख.लि. / न.क्र.45 / 2017 महासमुंद, दिनांक 29 / 11 / 2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 0.86 हेक्टेयर है तथा 1 खदान मेसर्स श्रीमती सरोज चन्द्राकर 0.83 हेक्टेयर को दिनांक 06 / 03 / 2019 को द्वारा उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति जारी किया गया है। आवेदित खदान (ग्राम–नांदगांव) का रकबा 0.7 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–नांदगांव) को मिलाकर कुल रकबा 1.56 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 3271 / 2 एवं 3274, कुल क्षेत्रफल – 0.7 हेक्टेयर फर्शी पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–3,625 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13 / 01 / 2020 को संपन्न 93वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 3271 / 2 एवं 3274, कुल क्षेत्रफल – 0.7 हेक्टेयर फर्शी पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–3,625 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

28. सरपंच, ग्राम पंचायत दरगहन, ग्राम–दरगहन, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 897)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 37375 / 2019, दिनांक 06 / 06 / 2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–दरगहन, ग्राम पंचायत दरगहन, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 02, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–67,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत दरगड़न का दिनांक 08/02/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 354/खनि /न.क्र./2019/धमतरी, दिनांक 03/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज की खदान की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 353/खनि /न.क्र./2019 धमतरी, दिनांक 03/05/2019 के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आरक्षित खदान की निकटतम नदी तट से दूरी 40 मीटर है, तथा उक्त रेत खदान के 200 मीटर की सीमा में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. पूर्व में रेत खदान खसरा क्रमांक 02, क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर, क्षमता–75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 775 दिनांक 31/08/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 01 वर्ष तक की अवधि हेतु दी गई थी। जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के 9 माह उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत था कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 1 वर्ष उपरांत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आँकड़ों सहित साद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना था, जिसका पालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में प्रस्तुत आवेदन को नई रेत खदान (प्रस्तावित) मानकर विचार किया जाएगा।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट की वास्तविक खुदाई एवं मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

5. पूर्व में आवेदित स्थल हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), जिला–धमतरी (छत्तीसगढ़) द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है। अतः पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

7. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती सरस्वती बाई, सरपंच एवं श्री चन्द्रहास ध्रुव, सचिव, ग्राम पंचायत दरगहन उपस्थित हुए। सरपंच एवं सचिव द्वारा समिति की आगामी बैठक दिनांक 21/08/2019 में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया:–**

1. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 21/08/2019 को समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् दूरभाष पर सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(स) समिति की 290वीं बैठक दिनांक 21/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती सरस्वती बाई, सरपंच एवं श्री चन्द्रहास ध्रुव, सचिव, ग्राम पंचायत दरगहन उपस्थित हुए। सरपंच एवं सचिव द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित होकर आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–

1. सरपंच एवं सचिव के अनुरोध को स्वीकार करते हुए खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 293वीं बैठक दिनांक 17/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। **समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1005 दिनांक 07/11/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया गया।

वर्तमान में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक1220/खनिज/रेत(रिवर्स ऑक्शन)/2019, धमतरी, दिनांक 06/12/2019 द्वारा विचाराधीन प्रकरण को एल.ओ.आई. धारक श्रीमती शालिनी सिंह (अधिमानी बोलीदार) के नाम पर हस्तांतरित करने हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 09/12/2019 को प्रस्तुत किया गया है। अनुरोध पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज निम्नानुसार है:–

i. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019" के प्रावधानों अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1218/खनिज/निविदा/2019 धमतरी, दिनांक 06/12/2019 द्वारा श्रीमती शालिनी सिंह (अधिमानी बोलीदार) के नाम से एल.ओ.आई. जारी किया गया है।

(इ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एल.ओ.आई. धारक श्रीमती शालिनी सिंह (अधिमानी बोलीदार) द्वारा विचाराधीन प्रकरण को हस्तांतरित करने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अनुरोध पत्र एल.ओ.आई. धारक श्रीमती शालिनी सिंह (अधिमानी बोलीदार) द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. आवेदक सरपंच द्वारा आवेदन हस्तांतरण हेतु कोई अनुरोध पत्र नहीं दिया गया है।
3. आवेदक द्वारा पूर्व में वांछित जानकारी भी प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि प्रकरण में आवेदक द्वारा वांछित जानकारी तथा वर्तमान में लीज आवेदक को आबंटित नहीं है। अतः प्रकरण को नस्तीबद्ध किया जाकर आवेदन को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 83वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

29. सरपंच, ग्राम पंचायत मंदरौद, ग्राम–मंदरौद, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 918)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 39053/2019, दिनांक 11/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–मंदरौद, ग्राम पंचायत मंदरौद, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 1711/1, कुल लीज क्षेत्र 4.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–54,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मंदरौद का दिनांक 08/03/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **सीमांकन** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/ सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद (छ.ग.) द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 368/खनि/न.क्र./2019 धमतरी, दिनांक 03/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार रेत खदान की निकटतम नदी तट से दूरी 30 मीटर है तथा उक्त रेत खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. निकटतम आबादी ग्राम–गाड़ाडीह 0.85 कि.मी., स्कूल ग्राम–मंदरौद 1 कि.मी. एवं अस्पताल कुरुद 8.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 22 कि.मी. दूर है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
8. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 400 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 144 मीटर दर्शाई गई है।
9. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार खदान में उपलब्ध रेत की मात्रा – 60,000 घनमीटर है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा उपलब्ध **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25 / 07 / 2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06 / 09 / 2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16 / 09 / 2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06 / 09 / 2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया गया।

वर्तमान में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1235 / खनिज / रेत(रिवर्स ऑक्शन) / 2019, धमतरी, दिनांक 07 / 12 / 2019 द्वारा विचाराधीन प्रकरण को एल.ओ.आई. धारक श्री चंद्रप्रकाश वर्मा (अधिमानी बोलीदार) के नाम पर हस्तांतरित करने हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 09 / 12 / 2019 को प्रस्तुत किया गया है। अनुरोध पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज निम्नानुसार है:–

i. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019" के प्रावधानों अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1233 / खनिज / निविदा / 2019 धमतरी, दिनांक 07 / 12 / 2019 द्वारा श्री चंद्रप्रकाश वर्मा (अधिमानी बोलीदार) के नाम से एल.ओ.आई. जारी किया गया है।

(स) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12 / 12 / 2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एल.ओ.आई. धारक श्री चंद्रप्रकाश वर्मा (अधिभागी बोलीदार) द्वारा विचाराधीन प्रकरण को हस्तांतरित करने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अनुरोध पत्र एल.ओ.आई. धारक श्री चंद्रप्रकाश वर्मा (अधिभागी बोलीदार) द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. आवेदक संस्थान द्वारा आवेदन हस्तांतरण हेतु कोई अनुरोध पत्र नहीं दिया गया है।
3. आवेदक द्वारा पूर्व में वांछित जानकारी भी प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि प्रकरण में आवेदक द्वारा वांछित जानकारी तथा वर्तमान में लीज आवेदक को आबंटित नहीं है। अतः प्रकरण को नस्तीबद्ध किया जाकर आवेदन को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 93वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3 **माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 837/2018, दिनांक 22/11/2019 के आदेश के संबंध में तकनीकी अमले के प्रस्ताव बाबत् निर्णय लिया जाना।**

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 837/2018, दिनांक 22/11/2019 में निम्नानुसार मुख्य आदेश दिये गये हैं:–

1. There is need for revamping the monitoring mechanism by MoEF&CC as well as SEIAAs, CPCB and State PCBs. Post EC monitoring processes need revamping in quantitative as well as qualitative terms.
2. There is need to prioritize the projects where potential environmental degradation is high on account of nature of activity as well as area being ecologically sensitive. In respect of such project and in such areas, monitoring may have to be more intensive and at higher frequency. In no case frequency of monitoring should be less than once in a year.
3. All category A projects are monitored not less than twice in a year and all category project area monitored not less than once in a year.
4. To ascertain the percentage of compliance.
5. Requisite manpower for effective monitoring by MoEF&CC, CPCB and SEIAAs.

माननीय मंत्री, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 12/09/2019 को सभी राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेश में गठित एस.ई.आई.ए.ए. एवं एस.ई.ए.सी. के कार्य संचालन स्थिति के समीक्षा हेतु संपन्न बैठक (कार्यवाही विवरण प्रेषित दिनांक 29/10/2019) में निम्नानुसार बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने हेतु बल दिया गया है:-

1. एस.ई.आई.ए.ए. एवं एस.ई.ए.सी. को कार्यों के संपादन के लिये उचित बुनियादी सुविधाएं और श्रमशक्ति प्रदान की जाए।
2. एस.ई.आई.ए.ए. में कंटेगरी "बी" परियोजनाओं की निगरानी एवं ऑफलाईन प्रक्रिया को ऑनलाईन प्रक्रिया में परिवर्तन हेतु पर्याप्त सुविधाएं और श्रमशक्ति प्रदान की जाए।
3. एस.ई.आई.ए.ए. एवं एस.ई.ए.सी. के प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता तथा एस.ई.आई.ए.ए. एवं एस.ई.ए.सी. को ऑटोनामस स्टेटस प्रदान किये जाए। एस.ई.आई.ए.ए. एवं एस.ई.ए.सी. के संगठन संरचना के लिये दिशानिर्देश बनाया जाए।

(अ) समिति की 304वी बैठक दिनांक 12/12/2019:

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एस.ई.आई.ए.ए. एवं एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ का सचिवालय मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अधिकृत किया गया है। राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा वर्तमान में 948 पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है, इसके आलावा निकट भविष्य में और इकाई को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाएगी। पर्यावरणीय स्वीकृति की कार्यवाही निरंतर प्रक्रिया है। इन समस्त प्रकरणो में मॉनिटरिंग की कार्यवाही राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा की जानी है। अतः निम्नानुसार अमले की आवश्यकता होगी।

I. **क्षेत्रीय स्तर पर:-** कार्यभार (948) एवं निकट भविष्य में संभावित पर्यावरणीय स्वीकृतियों के अनुसार 14 मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया जाएगा, जिसमें प्रत्येक टीम में 01 सहायक अभियंता / वैज्ञानिक तथा 01 तकनीकी सहायक होगा। इस प्रकार क्षेत्रीय स्तर सहायक अभियंता / वैज्ञानिक एवं 14 तकनीकी सहायक की आवश्यकता होगी।

II. **मुख्यालय स्तर पर:-** एस.ई.आई.ए.ए. एवं एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की बैठकों के संचालन, एजेण्डा एवं कार्यवाही विवरण तैयार करने, क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के अध्ययन एवं आवश्यकता अनुसार कार्यवाही करने हेतु निम्नानुसार अमले की आवश्यकता होगी:-

S. No.	Post	Required No.
1.	Chief Engineer	01
2.	Superintending Engineer	01
3.	Executive Engineer	02
4.	Assistant Engineer / Scientist	08
5.	Assistant Programmer	01
6.	Accountant	01
7.	UDC	03
8.	Data Entry Operator	03

III. इस प्रकार मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये कुल तकनीकी एवं लिपकीय अमले की आवश्यकता निम्नानुसार होगी:-

S. No.	Post	Required No.
1.	Chief Engineer	01

2.	Superintending Engineer	01
3.	Executive Engineer	02
4.	Assistant Engineer / Scientist	20
5.	Technical Assistant	14
6.	Assistant Programmer	01
7.	Accountant	01
8.	UDC	03
9.	Data Entry Operator	03

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एस.ई.आई.ए.ए. एवं एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के सचिवालय में तकनीकी अमले के लिये कम्प्यूटर, फर्नीचर, कम्प्यूटर, फोटोकॉपी मशीन आदि उपकरण, स्टेशनरी की व्यवस्था तथा तकनीकी अमले की वेतन हेतु प्रस्तावित बजट के प्रस्ताव को शामिल कर राज्य में पर्यावरणीय स्वीकृति मॉनिटरिंग हेतु उपरोक्त तकनीकी अमले का प्रस्ताव राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को भेजे जाने की अनुशंसा की गई। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए भवन की व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 93वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा के आधार पर तैयार किये गये **Institutional Setup and Monitoring Mechanism** के प्रस्ताव एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजे जाने वाले पत्र का अवलोकन किया गया। उपरोक्त **Institutional Setup** के उपयुक्त कार्य संचालन एवं मॉनिटरिंग हेतु सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये तैयार किये गये **Institutional Setup and Monitoring Mechanism** के प्रस्ताव को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–4 **रेत खदानों के एल.ओ.आई. धारकों (अधिमानी बोलीदार) द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को उनके नाम पर हस्तांतरित किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर निर्णय लिया जाना।**

रेत खदान के एल.ओ.आई. धारक (अधिमानी बोलीदार) द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को उनके नाम पर हस्तांतरित किये जाने हेतु निम्न आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विवरण निम्न है:–

क्र.	पर्यावरणीय स्वीकृति चाहनेवाले हेतु कार्यक्रम का नाम एवं पता	रेत खदान समूह एवं सम्भावित रेत खदान	पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण						कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी एन.ओ.आई. का विवरण	कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण
			ग्राम पंचायत का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर)	जारी दिनांक	वैधता	क्षमता (घनमीटर प्रतिवर्ष) / नदी का नाम		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
जिला–कबीरधाम–साटापारा										
1.	मोहम्मद कासिम रजा, पु. शांति नगर, भनौरी, रायपुर	कवीरधाम बाजार M, M-1	मोहारा, ग्राम–चिमौलि	पार्ट अंकि 01	2	एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्र. 744, दिनांक 11/09/2019	10/09/2020	30,000 / महानदी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), कबीरधाम–साटापारा के ज्ञापन क्र. 1367, दिनांक 28/12/2019	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), कबीरधाम – साटापारा के ज्ञापन क्र. 1428, दिनांक 10/01/2020
जिला–राजनांदगांव										
2.	श्री विजय बघेल, पोस्ट बोरी, डिवानिया लेबरी, रायपुर	राजनांदगांव E, E-1	जोगलेश्वर	पार्ट अंकि 1200 / 1	2.592	डी.ई.आई.ए.ए. राजनांदगांव के ज्ञापन क्र. 128, दिनांक 04/06/2019	30/06/2020	25,000 / —	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), राजनांदगांव के ज्ञापन क्र. 4000, दिनांक 06/12/2019	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), राजनांदगांव के ज्ञापन क्र. 8040, दिनांक 23/12/2019
जिला–कोरबा										
3.	श्री मनोज प्रसाद यादव, ग्राम–गमावोली, लालपुर, तहसील–पोड़ी–उपरौड़ा, जिला–कोरबा	कोरबा Q, Q-1	ग्राम टिकरा	332	4.302	डी.ई.आई.ए.ए. कोरबा के ज्ञापन क्र. 126, दिनांक 16/03/2017	09/03/2020	69,077 / हसदो नदी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), कोरबा के ज्ञापन क्र. 303, दिनांक 17/12/2019	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), कोरबा के ज्ञापन क्र. 368, दिनांक 30/12/2019
जिला–उत्तर बस्तर कांकेर										
4.	श्री [illegible], पता – क्वार्टर 01, ब्लॉक नं. 02, मकान 01, सेक्टर –06 भिलाई, जिला–दुर्ग	कांकेर H, H-1	पिपरीद ग्राम–कोटेमरी	602	5.0	डी.ई.आई.ए.ए. उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्र. 047, दिनांक 21/03/2017	20/03/2020	1,25,000 / महानदी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्र. 878, दिनांक 09/01/2020	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्र. 880, दिनांक 09/01/2020

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 93वीं बैठक में विचार किया गया।

प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्राधिकरण की पूर्व बैठक दिनांक 09/10/2019 को संपन्न 88वीं बैठक, दिनांक 06/12/2019 को संपन्न 91वीं बैठक एवं दिनांक 20/12/2019 को संपन्न 92वीं बैठक में तत्समय समान प्रकरणों पर गहन चर्चा उपरांत पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को आवेदकों (एल.ओ.आई. धारकों) के नाम पर हस्तांतरण किए जाने का निर्णय लिया गया था।

प्राधिकरण के पूर्व निर्णय अनुसार विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तालिका के सरल क्रमांक 07 में वर्णित पर्यावरणीय स्वीकृति को सरल क्रमांक 02 में वर्णित आवेदक (एल.ओ.आई. धारक) के नाम पर हस्तांतरण निम्नलिखित के अधीन किए जाने का निर्णय लिया गया:–

1. पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण की वैधता पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता अवधि हेतु मान्य होगी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त के अनुसार जिन परियोजना प्रस्तावकों की रेत पुनःभरण अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि समाप्त हो गई है, उन परियोजना प्रस्तावकों द्वारा यह रेत पुनःभरण अध्ययन रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाए। शेष परियोजना प्रस्तावकों द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त में उल्लेखित अवधि के भीतर रेत पुनःभरण अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में वर्णित निबंधनों और शर्तों का पालन आवेदक (एल.ओ.आई. धारक) द्वारा सुनिश्चित की जाए।

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को आवेदक (एल.ओ.आई. धारक) के नाम पर हस्तांतरण करने बाबत् तदाशय का पत्र जारी किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–5 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

1. समस्त आर.क्यू.पी. द्वारा श्री अजीत बसंत (आई.ए.एस.), डॉयरेक्टर को प्रेषित आवेदन के संबंध में।

समस्त आर.क्यू.पी. द्वारा श्री अजीत बसंत (आई.ए.एस.), डॉयरेक्टर को आवेदन प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति अध्यक्ष, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ को भी प्रेषित की गई है। आवेदन में पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्तुतीकरण में योग्यतानुसार अवसर दिये जाने का निवेदन किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त आवेदन पर प्राधिकरण की दिनांक 13/01/2020 को संपन्न 93वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार

विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त आवेदन को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(संगीता पी.)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(भोगी लाल सरन)
अध्यक्ष,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. समीर बाजपेयी)
सदस्य
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़